34

वित्त संबंधी स्थायी समिति

(2020-21)

वित्त मंत्रालय(आर्थिक कार्य तथा राजस्व विभाग)
और वाणिज्य मंत्रालय(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

['स्टार्टअप ईकोसिस्टम का वित्तपोषण 'विषय संबंधी बारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

चौंतीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अगस्त, 2021/ श्रावण, 1943 (शक)

चौंतीसवां प्रतिवेदन

वित्त संबंधी स्थायी समिति
(2020-21)

(सत्रहवीं लोक सभा)

वित्त मंत्रालय(आर्थिक कार्य तथा राजस्व विभाग)

और

वाणिज्य मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

['स्टार्टअप ईकोसिस्टम का वित्तपोषण 'विषय संबंधी बारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

3 अगस्त, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया ।

3 अगस्त, 2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अगस्त, 2021/ श्रावण, 1943 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ

समिति की संरचना.....

प्राक्कथन.....

अध्याय- एक	प्रतिवेदन .....
अध्याय- दो	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है .....
अध्याय- तीन	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार से प्राप्त उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती...
अध्याय- चार	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं .....
अध्याय –पांच	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं .....

अनुबंध

अनुबंध I **:** वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के विभिन्न वर्ग

अनुबंध II: स्टार्ट अप इंडिया इनीशिएटिव के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां

समिति की 29 जुलाई , 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश

परिशिष्ट

'स्टार्टअप ईकोसिस्टम का वित्तपोषण ' संबंधी बारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण.....

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की संरचना

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलूवालिया
3. श्री सुखबीर सिंह बादल
4. श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया
5. श्री वल्लभनेनी बालाशोरी
6. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
7. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
8. श्रीमती सुनीता दुग्गल
9. श्री गौरव गोगोई
10. श्री सुधीर गुप्ता
11. रिक्त
12. श्री मनोज किशोरभाई कोटक
13. श्री पिनाकी मिश्रा
14. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी
15. प्रो. सौगत राय
16. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी
17. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
18. श्री मनीष तिवारी
19. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
20. श्री राजेश वर्मा
21. श्री गिरिधारी यादव

राज्य सभा

22. रिक्त
23. श्री ए. नवनीतकृष्णन
24. श्री प्रफुल्ल पटेल
25. श्री अमर पटनायक
26. श्री महेश पोद्दार
27. श्री सी. एम. रमेश
28. श्री बिकास रंजन
29. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हा राव
30. डॉ. मनमोहन सिंह
31. श्रीमती अंबिका सोनी

सचिवालय

1. श्री वी.के. त्रिपाठी - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक
4. सुश्री युग्मा मलिक - समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, वित्त संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, 'स्टार्टअप ईकोसिस्टम का वित्तपोषण ' संबंधी बारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी यह चौंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

2. बारहवाँ प्रतिवेदन 9 सितंबर, 2020 को माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया और 3 फरवरी, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के पटल पर रखा गया । सिफारिशों पर की गई कार्रवाई टिप्पण सरकार से उनके 23 दिसंबर, 2020 के पत्र द्वारा प्राप्त किए गए ।

3. समिति ने 29 जुलाई, 2020 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया ।

4. समिति के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट में दिया गया है ।

5. संदर्भ सुविधा हेतु, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है ।

नई दिल्ली;
29 जुलाई , 2021
7 श्रावण , 1943 (शक)

श्री जयंत सिन्हा
सभापति
वित्त संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन

अध्याय-एक

वित्त संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य तथा राजस्व विभाग) और वाणिज्य मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) के 'स्टार्टअप ईकोसिस्टम का वित्तपोषण 'संबंधी बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है,जो 9 सितंबर, 2020 को माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया और 3 फ़रवरी 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

2. प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 14सिफारिशों के संबंध में दिनांक 23 दिसंबर, 2020 को वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) से की गई कार्रवाई टिप्पण (समेकित) प्राप्त हो गए हैं। इनका विश्लेषण और श्रेणीकरण निम्नवत् रूप से किया गया है-

(एक) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है :
सिफारिश सं. 1,2,3,12 और 14

(कुल:5)
(अध्याय-दो)

(दो) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती
सिफारिश सं.4,5 और 13

(कुल:3)
(अध्याय-तीन)

(तीन) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं
सिफारिश सं.7,9,10 और 11

(कुल:4)
(अध्याय-चार)

(चार) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं
सिफारिश सं.6 और 8

(कुल:2)
(अध्याय-पाँच)

3. समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में उत्तर यथाशीघ्र समिति को भेजे जाएं।

4. अब समिति अपनी कुछ सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करेगी और उन पर टिप्पणी देगी।

सिफारिश (क्रम सं. 7)

5. समिति सिफारिश करती है कि वैश्विक परंपराओं के अनुसार, भारत में बड़ी वित्तीय संस्थाओं को उनके निवेश योग्य अधिशेष के एक हिस्से को घरेलू निधियों में लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे स्टार्टअप निवेशों के लिए बहुप्रतीक्षित अतिरिक्त घरेलू पूंजी मिलेगी। इस उद्देश्य के लिए, समिति निम्नलिखित विशिष्ट उपायों की सिफारिश करती है:

(i) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) और राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस) को 'फंड-ऑफ-फंड्स' कार्यक्रम चलाने के लिए पेशेवर निधि प्रबंधकों से बोलियां आमंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसमें भागीदारी के लिए सिडबी भी पात्र होगा। इसके अलावा, पेंशन निधि निवेश की आवश्यकता जैसे प्रतिबंधों की समाप्ति से एनपीएस द्वारा आईएफ में निवेश में आने वाली बाधा में उल्लेखनीय रूप से कमी आएगी। समिति यह भी सिफारिश करना चाहती है कि पेंशन निधियां वर्तमान में अपनी निधियों का एक छोटा प्रतिशत एआईएफ के लिए आबंटित करने से शुरूआत कर सकती है और क्रमश: अनुभव में वृद्धि के साथ वे इससे वृद्धि कर सकती हैं।

(ii) बड़े बैंकों को मिलकर 'फंड ऑफ फंड' का गठन करना चाहिए। इसके अलावा, बैंकों को जोखिम उठाने की मौजूदा सीमा को बढ़ाए जाने और साथ ही श्रेणी-।।। के एआईएफ में निवेश किए जाने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

(iii) बीमा कंपनियां (जीवन और गैर जीवन) को सीधे वीसी/पीआई निधियों में अधिक जोखिम सीमा के साथ सीधे ही 'फंड ऑफ फंड' में निवेश किए जाने के लिए आईआरडीएआई द्वारा अधिक छूट दी जानी चाहिए। समिति चाहती है कि उद्योग द्वारा एआईएफ निवेशों पर बीमाकर्ता से जुड़े मुद्दों पर एक संकल्पना टिप्पण शीघ्रातिशीघ्र भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) को प्रस्तुत किया जाए ताकि तुरंत उस दिशा में सकारात्मक उपायकिए जा सकें। इसके अलावा, समिति सिफारिश करती है कि एक पृथक श्रेणी के तहत तैयार किया जाना चाहिए और गैर अनुमोदित निवेशों के तहत अन्य निवेशों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

(iv) विदेशी विकास वित्त संस्थानों को स्थानीय परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों के साथ भागीदार करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाए ताकि 'फंड ऑफ फंड' ढांचे को विशेष रूप से सामाजिक प्रभाव, स्वास्थ्य परिचर्चा तथा उद्यम/निवेश क्षेत्रों में स्थापित किया जा सके।

समिति को विश्वास है कि इन कदमों से न केवल अर्थव्यवस्था में अधिक पूंजी का निवेश होगा बल्कि देश के लिए कतिपय सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति के करीबी पहुंचने में भी मदद करेगा।

6. सरकार ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया :-

(i) भारत सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् हुई थी के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की शुरूआत पुरानी पेंशन प्रणाली परिभाषित लाभयोजना के बदलाव में की गई थी। अब यह प्रणाली मुख्य सभी राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए ली गई है। 1 अप्रैल, 2009 से एनपीएस को गैर-सरकारी क्षेत्र ने भी अपना लिया है।

वर्तमान में, प्रबंधन के अंतर्गत आस्तियां (एयूएम) का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों जिनमें केंद्रीय एवं विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारी शामिल हैं, के लिए है।

पीएफआरडीए द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पेंशन निधि द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों, कार्पोरेट ऋण और सूचीबद्ध इकाइयों की इक्विटी में निवेश किया जाता है और सुरक्षा स्तर मूल्यांकन पद्धति द्वारा चिन्हित बाजार आधार पर कीमत आंकी जाती है। एक व्यावसायिक मूल्यांकन एजेंसी को प्रतिभूतियों के प्रतिदिन के मूल्यांकन को प्रदान करने के लिए जिसके आधार पर (सकल आस्ति मूल्यांकन) एनएवी परिकलित होती है के लिए रखा गया है और पेंशन निधि द्वारा प्रतिदिन आधार पर प्रकाशित किया जाता है।

एनपीएस के अंतर्गत निजी क्षेत्र अभिदाता के लिए पीएफआरडीए द्वारा जारी निवेश के दिशा निर्देश सेबी विनियमित ''वैकल्पिक निवेश निधि'' एआईएफ (केवल वर्ग । और वर्ग ।।) जैसाकि सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियामक 2012 में वर्णित है , में निवेश करने की अनुमति देता है, आस्तियां वर्ग क के लिए संपूर्ण सीमा के 5 प्रतिशत के अंदर। संपत्तियों वर्ग (क) के अंतर्गत आने वाली संपत्तियां वर्तमान में लगभग 50 करोड़ रुपये की है जिसमें कुछ संख्या अभिदाताओं की है। असूचीबद्ध वैकल्पिक निवेश निधि में निवेश मूल्यांकन एवं नकदी की चुनौतियों के कारण व्यवहार्य नहीं हो सकता है। यह बताया गया है कि पेंशन फंड एक अलग फंड-ऑफ-फंड कार्यक्रम चलाने के बजाय सिडबी के तहत संचालित फंड-ऑफ-फंड में निवेश कर सकते हैं।

यह भी बताया गया है कि पेंशन निधि प्रबंधक अभिदाता के जमा राशि में अभिदाता की पसंद और वैकल्पिक निवेश निधि में भी निवेश इस कारक पर निर्भर करता है।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा निवेश जैसे एक अस्थायी निधियों के निधि का संबंधित संस्था का निवेश निर्णय है जो कि स्वतंत्र है और परिचालन मामले में कार्य प्रणाली की एकलता से चलता है।

(क) भारत के छोटे औद्योगिक विकास बैंक स्टार्ट-अप (एफएफएस) के लिए निधियों की निधि का प्रबंधन कर रहे हैं जो कि 10,000 करोड़ रुपये की राशि है और जिसका निवेश वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में किया जाएगा जो कि स्टार्ट-अप व्यवसाय में निवेश करेगा।

(ख) बैंकों के लिए वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के संबंध में बैंक (आरबीआई) के दिशा निर्देशों के अनुसार है।

इस संबंध में आरबीआई ने निम्नलिखित बातें कही हैं :

निधियों के निधि में एक बैंक का निवेश एक अन्य बैंक साथ निवेश, उस बैंक का व्यवसायिक निर्णय है। वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निधियों की निधि के माध्यम से बैंक द्वारा किया गए अंतिम निवेश को आरबीआई महत्वपूर्ण नियमावली/सीमा के एआईएफ के वर्ग ।/।। में बैंक निवेश अंतर्गत और एआईएफ के वर्ग ।।। में निवेश पर प्रतिबंधों को नीचे विस्तृत किया गया है।

I. एआईएफ के वर्ग । और वर्ग ।। के 10 प्रतिशत देय पूंजी में निवेश करने के लिए स्वतंत्र होंगे, वे आरबीआई से पूर्व अनुमोदन के पश्चात 10 प्रतिशत से परे भी निवेश कर सकते हैं।

II. एमआईएफ वर्ग ।।। में बैंकों द्वारा निवेश को विशिष्ट रूप से निधियों की जोखिम भरी प्रकृति और जटिल व्यापारी युक्तियों के कारण प्रतिबंधित किया गया है। बैंकों की सहायक कंपनी को एआईएफ के वर्ग ।।। में प्रयोजकता/प्रबंधकों की न्यूनतम विनियामक आवश्यकता तक निवेश करने की अनुमति है।

(iii) एआईएफ ''अन्य निवेशकों'' का हिस्सा है जिसमें जो प्रोफाइल, नकदी, परिपक्वता अवधि विन्यास और अपफ्रंट पर निवेश प्रस्ताव को देखने के लिए उपलब्ध सूचना के लिए। एआईएफ में निवेश के लिए आईआरडीएआई ने निवेश मास्टर परिपत्र जीवन बीमा की स्थिति में निधि के 3 प्रतिशत की सीमा और सामान्य बीमा की स्थिति में 5 प्रतिशत की सीमा की अनुमति दे दी है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्य निवेशकों के हिस्से में भी 30 जून, 2020 तक एआईएफ निवेश के लिए पर्याप्त है।

आईआरडीएआई ने सूचित किया है कि बीमा अधिनियम 1938 के अनुभाग 27ई के अनुपालन के संबंध में आरबीसीए से संकल्प नोट को अभी भी प्राप्त करना बाकी है।

(iv) निधियों के निधि ढांचा या प्रत्यक्ष वीसी/पीई निधियों की स्थापना के माध्यम से एफडीएफआई भागीदारी के संबंध में यह वर्णित किया जाता है कि सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) नियामक, 2012 के अनुसार ट्रस्ट या एक कंपनी या एक सीमित दायित्व भागीदारी या स्वायत्त निकाय के रूप में भारत में स्थापित या निगमित जो कि एक निजी संयोजित निवेशक वाहन हो जो कि निवेशकों से निधियों का संकलन अन्य पात्रता आवश्यकता की संतुष्टि के शर्त के साथ इसके निवेशकों के लाभ के लिए परिभाषित निवेश नीति के अनुसार निवेश करने के लिए करता हो चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, का पंजीकरण कर दिया जाएगा।

विदेशी डीएफआई/पेंशन निधि और संस्थात्मक निवेशक एआईएफ समेत एआईबी में निवेश करने के लिए स्वतंत्र है। एफआईआई द्वारा अनेक मॉडलों को अपनाया जा चुका है जिसमें स्टार्ट-अप में प्रत्यक्ष निवेश, एआईएफ की स्थापना करना, वीसी/पीई निधि में निवेश करना जैसे एनआईआईएफ, अपनी स्वयं की प्लेटफॉर्म कंपनी की स्थापना करना, इनविट इत्यादि की स्थापना। एआईएफ के विभिन्न वर्ग पर राइट-अप को अनुबंध-1में संलग्न किया गया है।

7. **समिति इस बात को दोहराना चाहती है कि स्टार्टअप निवेश के लिए अत्यावश्यक अतिरिक्त घरेलू पूंजी निवेश करने के लिए भारत में पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और बैंकों जैसे बड़े वित्तीय संस्थानों को घरेलू कोषों में अपने निवेश योग्य अधिशेष के कुछ अनुपात को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समिति, वैकल्पिक परिसंपत्ति वर्ग में अंशदान को नियंत्रित करने वाले वर्तमान विनियमों को नोट करती है और यह चाहती है कि इनमें कुछ छूट प्रदान की जाए ताकि सफल वैश्विक मॉडलों को भारत में दोहराया जा सके और अर्थव्यवस्था में अधिक पूंजी जुटाई जा सके। समिति की राय है कि घरेलू संस्थानों को उनमें निवेश करने से बचने की जरूरत नहीं है और वे देश में निवेश स्रोतों के रूप में घरेलू पूंजी के बड़े पूल का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, दर्जनों घरेलू यूनीकार्न के द्वारा सृजित किए जा रहे सुदृढ लाभ को घरेलू निवेशकों के लिए भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए और इन्हें केवल विदेशी संस्थानों द्वारा नहीं कब्जाया जाना जाना चाहिए।**

सिफारिश (क्रम सं. 9)

8 . समिति, वैकल्पिक निवेश निधियों को पूंजीगत बाजारों में सूचीबद्ध करने की अनुमति प्रदान करने की ओर इंगित करती है जिसके परिणामस्वरूप 'स्टार्टअप इकोसिस्टम' के लिए पूंजी के स्थायी स्रोत तैयार हो सके। समिति यह चाहती है कि 'मिड मार्केट पर्मानेंट कैपिटल व्हीकल – पर्मानेंट कैपिटल व्हीकल संबंधित प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाए तथा इस संबंध में, उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा मंत्रालय के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाए ताकि इस संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई की जा सके। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) तथा जर्मन इंवेस्टमेंट एंड डवलपमेंट कंपनी (डीईजी) की तर्ज पर अधिक घरेलू विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई) का सृजन करने हेतु बल दिए जाने की आवश्यकता है ताकि अर्थव्यवस्था की विभिन्न क्षेत्रों का वित्तपोषण किया जा सके। इसके अलावा, 'यूनीवर्सिटी एडावमेटस' को एआईएफ में निवेश करने की अनुमति प्रदान करना दीर्घकाल में अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हो सकता है ताकि अर्थव्यवस्था में सतत् विकास किया जा सके।

9. सरकार ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया :-

" वर्तमान में, संसद के अधिनियम से स्थापित चार अखिल भारतीय वित्तीय संस्था हैं (एआईएफआई) जो कि नीचे वर्णित अपनी संबंधित क्षेत्र में विकास वित्तीय संस्था (डीएफआई) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(i) **भारत के छोटे औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी)** छोटे प्रकार के उद्योग और संस्थाओं के समारोह का संचालन करते हैं जो कि छोटे उद्यमों के प्रोत्साहन, वित्तपोषण में लगे हुए को प्रोत्साहन, वित्तपोषण और उद्योगों को विकास प्रदान करते हैं।

(ii) **राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)** कृषि, छोटे उद्यमों, कपास एवं ग्रामीण उद्योग, हथकरघा और अन्य ग्रामीण शिल्प एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य संबंधित आर्थिक क्रियाकलापों जिसमें एकीकृत ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन एवं विकास के लिए उधार एवं अन्य सुविधाओं को प्रदान एवं विनियमित करती है।

(iii) **भारत का आयात निर्यात बैंक(एग्जिम बैंक)** निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माल और सेवाओं के निर्यात और आयात को वित्त पोषित करने में संबद्ध संस्थानों की काम करने में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है।

(iv). **राष्ट्रीय आवासन बैंक (एनएचबी)** स्थानीय और प्रादेशिक स्तर दोनों में आवासन वित्तीय संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करती है और ऐसे संस्थानों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएस), 2006 में स्थापित भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आईआईएफसीएल योग्य अवसंरचना परियोजना उपक्षेत्र और उत्पाद प्रस्ताव के संबंध में अधिक विविधता वाले सरकारी क्षेत्र अवसंरचना ऋणदाता में से है।

बजट भाषण 2019-20 में दीर्घावधिक वित्त और विकास वित्त संस्थानों से पूर्व अनुभव के संबंध में वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने और विकासात्मक वित्त संस्थानों के जरिए ढांचे और अपेक्षित कोषों के प्रवाह की अनुशंसा करने के लिए विशेषज्ञ समिति को स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। इसके पश्चात, डीएफएस ने क्षेत्र विशेष आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए डीएफआई स्थापित करने हेतु विचार-विमर्श की प्रक्रिया की है।

सेबी में स्थायी पूंजी वाहक (पीसीवी) की शुरूआत के लिए एआईएफ उद्योग से प्रारंभिक प्रस्ताव की प्राप्ति हुई है। प्रस्ताव पर 03 नवम्बर, 2020 को आयोजित हुई एआईपीएसी की 16वीं बैठक में संक्षिप्त रूप में विचार किया गया था जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि एआईपीएसी का कार्यशील ग्रुप पीसीवी पर विस्तृत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श और प्रस्तुत करेगा।

विश्वविद्याल/शैक्षणिक न्यास भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत न्यास के रूप में स्थापित की जा सकी। इस अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, न्यास को कोई भी निवेश करवाने की भी अनुमति है जहां तक न्यास/न्यास की लिखत ऐसे निवेशकों प्राधिकृत करती हो। चूंकि यह आजादी न्यासों को पहले ही दी जा चुकी है, इनमें कोई रोक नहीं है और न्यास दस्तावेज में स्पष्ट रूप से उल्लेखन के द्वारा एआईएफ में निवेश का चयन कर सकती है।

10. समिति क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए विकास वित्तीय संस्थानों (डीएफआई) को सृजित करने और परमानेंट कैपीटल व्हीकल (पीसीवी) को लागू करने के प्रस्ताव की जांच करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा किए गए उपायों पर ध्यान देती है। समिति आग्रह करती है कि उपरोक्त उपायों को समयबद्ध

तरीके से जल्द से जल्द मूर्त रूप दिया जाए। इसके अलावा, समिति वैकल्पिक निवेश कोषों को पूंजी बाजारों में सूचीबद्ध करने की अनुमति देने की आवश्यकता को दोहराती है, इस प्रकार, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पूंजी का एक स्थायी स्रोत तैयार किया जा सकता है।

सिफारिश (क्रम सं. 10)

11. समिति यह चाहती है कि ऐसे क्षेत्र जिनमें विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशक (एफवीसीआई) को निवेश करने की अनुमति है, उन्हें विस्तार देकर उसमें ऐसे सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए जहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को निवेश करने की अनुमति है, चूंकि यह पद्धति, लचीला निवेश ढांचा उपलब्ध कराती है और इस प्रकार यह अर्थव्यवस्था में पर्याप्त पूंजी आकर्षित कर पाएगी। समिति यह महसूस करती है कि पूंजी की यह आवसक अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। समिति का यह मत है कि चूंकि विदेशी निवेशक/पूलिंग व्हीकल्स को इक्विटी पूंजी अथवा लिखतों में निवेश करने की अनुमति है जो एफडीआई रूट के तहत अनिवार्य रूप से इक्विटी में संपरिवर्तनीय है, अब 'हाईबिड प्रतिभूतियों' को कम से कम सीमित अवधि के लिए जारी किए जाने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने हेतु आवश्यकता है, जिनमें एफडीआई रूट में ऋण तथा इक्विटी दोनों की विशेषताएं हैं ताकि कंपनियों की वित्त – उगाही करने की क्षमताओं को बढ़ाया जा सके ताकि इस मुश्किल समय में वाणिज्यिक रूप उपर्युक्त शर्तों पर पूंजी की उगाही की जा सके।

12. सरकार ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया :-

> "विदेशी उद्यम पूंजी निवेश (एफवीसीआई) भारत के बाहर समाविष्ट एक निवेश निकाय है और यह सेबी के प्रावधानों (विदेशी उद्यम पूंजी निवेश) विनियम, 2000 के अनुसरण में सेबी के साथ पंजीकृत है।
>
> उन क्षेत्रों के संबंध में जिसमें एफवीसीआई को निवेश करने की अनुमति है, दिनांक 20 अक्तूबर, 2016 के परिपत्र के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया जिसमें सेबी पंजीकृत एफवीसीआई को निवेश करने की अनुमति हैः
>
> (i) जैव प्रौद्योगिकी;
> (ii) हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी;
> (iii) नैनोप्रौद्योगिकी;

(iv) मूल अनुसंधान और विकास;

(v) फार्मा क्षेत्र में नए कैमिकल निकायों का अनुसंधान एवं विकास;

(vi) दुग्ध उद्योग;

(vii) मुर्गी पालन उद्योग;

(viii) जैव इंधन का उत्पादन;

(ix) 3 हजार से अधिक बैठने की क्षमता के साथ होटल सह-कन्वेंशन केंद्र;

(x) अवसंरचना क्षेत्रः "अवसंरचना क्षेत्र" शब्द की वही अर्थ है जो कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अधिसूचना के जरिए अनुमोदित अवसंरचना उपक्षेत्रों की सुमेलित मास्टर सूची में दिए गए हैं।

(xi) उन क्षेत्रों पर विचार किए बिना जिसमें स्टार्टअप संबंधित हो, भारतीय 'स्टार्टअप' द्वारा जारी किए गए इक्विटी या इक्विटी संबद्ध लिखत या ऋण लिखत।

उक्त प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विदेशी विनिमय प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 की अनुसूची 7 में बाद में समाहित किए गए थे।"

13. समिति, उन कारणों से अवगत कराना चाहेगी कि ऐसे क्षेत्र जहां विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों (एफवीसीआई) को निवेश करने की अनुमति है, वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचीबद्ध ग्यारह क्षेत्रों तक सीमित क्यों हैं और उन सभी क्षेत्रों में एफवीसीआई का विस्तार नहीं करने के पीछे की शंकाओं के कारण हैं जहां एफडीआई की अनुमति है । जैसा कि पहले सिफारिश की गई थी, समिति 'एफडीआई रूट' के तहत ऋण और इक्विटी दोनों की 'हाइब्रिड' प्रतिभूतियों को जारी करने के संबंध में अपने रुख को दोहराती है, जो उनके अनुसार कम से कम इस कठिन दौर में वाणिज्यिक रूप से उपयुक्त शर्तों पर पूंजी जुटाने के लिए कंपनियों की निधि जुटाने की क्षमताओं में वृद्धि करेगा ।

सिफारिश (क्रम सं. 11)

14. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय अर्थव्यवस्था 'पोस्ट कोविड-19 संकट' ग्रस्त है तथा अनेक क्षेत्रों को उबरने के लिए पूंजी की आवश्यकता है, समिति ने सिफारिश कि 31 मार्च, 2024 से पूर्व किए गए निवेश पर वित्त अधिनियम, 2020 में यथा प्रोत्साहित कम से कम 36 माह की अवधि तक निवेश बनाए जाने पर सभी क्षेत्रों में दीर्घकालीन तथा 'पेशेंट कैपिटल' पर छूट उपलब्ध कराई जाए।

15. सरकार ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"वित्त अधिनियम, 2020 ने अवसंरचना क्षेत्र में किए गए निवेश के लिए आबूधाबी निवेश प्राधिकरण की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी, विनिर्दिष्ट सावरेन वेल्थ कोष और पेंशन कोष के लाभांश, पूंजी लाभ और ब्याज से आय को छूट प्रदान की है। इस संबंध में यह भी नोट किया जाए कि यह छूट अवसंरचना क्षेत्र तक ही सीमित है क्योंकि अवसंरचना क्षेत्र तीव्र आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है और यह संपोषणीय विकास का आधार बनाता है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में दीर्घ परिपक्वता अवधि और उच्च पूंजी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र में पूंजी की कमी को महसूस किया गया है और इसलिए 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन हेतु देने की आवश्यकता महसूस की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रोत्साहन के कार्यक्षेत्र को विस्तृत करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 की अधिसूचना के द्वारा पहले ही अवसंरचना क्षेत्र की परिभाषा को विस्तृत किया गया है। सभी क्षेत्रों को लाभ देने के परिणामस्वरूप पूंजी की मांग वाले अवसंरचना क्षेत्र पर ध्यान केंद्र की कमी होती है क्योंकि विदेशी कोष उच्च प्रतिफल और कम परिपक्वता अवधि करने वाले निवेश क्षेत्रों में अधिक दिलचस्पी लेंगे।"

16. समिति बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के महत्व और इस दिशा में निधियों को चैनलाइज करने की आवश्यकता को समझती है, परंतु, वहीं अन्य क्षेत्रों में भी दीर्घकालिक और 'पेशेन्ट कैपीटल इन्वेस्टमेंट' के महत्व को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों को भी उबरने/पुनर्जीवित करने के लिए पूंजी की आवश्यकता है और तेजी से आर्थिक विकास और धारणीय विकास के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण पक्षकार हो सकते हैं । इस प्रकार, समिति का यह भी मत है कि ढांचागत क्षेत्र की परिभाषा को व्यापक बनाने के बजाय क्षेत्रों की एक विस्तृत सूची जारी की जाए और जैसा कि वित्त अधिनियम, 2020 में प्रोत्साहन स्वरूप उपबंध किया गया है दिनांक 31 मार्च, 2024 से पहले किए गए निवेशों पर आय में छूट दी जाए बशर्ते कि इस प्रकार का निवेश कम से कम 36 माह की अवधि तक बनाए रखा जाए और इसे ऐसे सभी क्षेत्रों में विस्तार दिया जाए, जिसमें दीर्घकालिक और 'पेशेन्ट कैपीटल' का निवेश किया गया है। इसके अलावा, ये कर लाभ केवल विनियमित सामूहिक निवेश कंपनियों (सीआईवी) जैसे एंजेल फंड्स, वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) और निवेश सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के लिए थे। इस प्रकार, कर चोरी, अपारदर्शी मूल्यांकन और कम अनुपालन की संभावना अत्यंत कम है ।

म्यूचुअल फंड पहले से ही कम और पारदर्शी दीर्धकालीन पूंजी लाभ (एलटीसीजी) दरों से लाभान्वित हो रहे हैं। सीआईवी पर बहुत अधिक दर पर कररोपण करके सरकार केवल स्टार्टअप्स से परिपक्व और सूचीबद्ध कंपनियों की ओर निधियों को भेज रही है। इसके अलावा, विदेशी निवेशक भी इतनी ऊंची कर की दरों का भुगतान नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे कम कर क्षेत्राधिकारों से प्रचालन कर रहे हैं। इसका शुद्ध परिणाम यह होता है कि हमारे स्टार्टअप्स को पर्याप्त वित्तपोषण प्राप्त नहीं होता है और हमारे 'यूनिकॉर्न' से सृजित होने वाले लाभ को विदेशी निवेशकों द्वारा छीना जा रहा है । भारत को अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के वित्तपोषण में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है और ये नीतियां उस उद्देश्य को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा रही हैं । समिति यह प्रस्ताव करती है कि सरकार स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के वित्तपोषण के लिए अपने नीतिगत ढांचे पर गंभीरता से पुनर्विचार करे।

अध्याय दो

सिफारिशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश (क्र. सं. 1)

1. वर्तमान कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। मांग में उल्लेखनीय कमी आई है, आपूर्ति श्रृंखलाएं टूट गई हैं और निवेश रुक गया है। समिति का मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में, महामारी के पश्चात् विकास की क्षमता और धैर्य दर्शाने की योग्यता एक मजबूत 'स्टार्टअप इकोसिस्टम' के निर्माण पर निर्भर करेगी जो निवेश, रोजगार और मांग सृजन को बढ़ावा दे सके। 'स्टार्टअप इकोसिस्टम' का निर्माण स्टार्टअप गतिवर्धकों, उद्यम पूंजीपतियों, निवेशकों, आधारभूत सुविधाओं, उद्यमियों, विश्वविद्यालयों, सरकार, नियमों, पथप्रदर्शकों और मीडिया पर निर्भर करता है। वे सभी ज्ञान सृजन, इसके विस्तार और उपयोग; घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नियामक वातावरण; प्रशिक्षण; उत्पाद बाजार परिस्थितियों और वित्त की उपलब्धता के द्वारा नए विचारों को वास्तविकता का रूप देकर वृहत्तर इकोसिस्टम में मूल्य सृजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2. समिति का यह भी मानना है कि स्टार्टअप और नवप्रवर्तक नवप्रवर्तन की अगली लहर को संचालित कर हैं और नए विचारों को समर्थन और वित्तीपोषण की आवश्यकता पूर्वकाल के किसी भी समय से अधिक है और निजी इक्विटी/उद्यम पूंजी, वृहत्तर कंपनियों, एचएनआईएस, पारिवारिक कार्यालयों और अन्य संस्थागत निवेशकों को प्रात्साहित किए जाने की आवश्यकता है। वे नए और परिणामदायक स्टार्टअप के साथ-साथ परिपक्व कंपनियों में भी जोखिम पूंजी के रूप में निवेश करते हैं और आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक-आर्थिक मूल्य सृजन के उल्लेखनीय उत्प्रेरक है। उनमें भारतीय अर्थव्यवस्था को सही गति देकर अर्थव्यवस्था की सकल कारक उत्पादकता में वृद्धि करने और आर्थिक वृद्धि की गुणवत्ता में सुधार करने की क्षमता है जहां उनके द्वारा समर्थित कंपनियां नवप्रवर्तन, उच्च गुणवत्ता वाले नए रोजगार अवसरों का सृजन करने, बाजार में बेहतर उत्पाद और सेवाएं लाने, नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने, वित्तीय समावेशन करने, बेहतर अवसंरचना का निर्माण करने पूंजी दक्षता को बढ़ावा देने और डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार करने में अग्रणी होती है।

सरकार का उत्तर

- डीपीआईआईटी देश में स्टार्टअप आंदोलन में तेजी लाने के लिए लगातार उपाय कर रहा है।

- डीपीआईआईटी उस विनियामक माहौल को सुगम और सुदृढ़ करने पर सतत् क्रियाशील है, जिसमें हमारे स्टार्टअप स्थापित होते हैं व प्रचालन करते हैं।
- स्टार्टअप के लिए निधियन सहायता उपलब्ध कराने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कोष से 'स्टार्टअप्स हेतु निधियों की निधि' (एफएफएस) प्रचालनरत है।
- डीपीआईआईटी सालाना वैश्विक उद्यम पूंजी सम्मलेन का आयोजन करता है। सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

i. भारत के अवसरों का प्रदर्शनः उन सेक्टरों पर चर्चा तथा चिह्नांकित करना जिनमें निवेश करने संबंधी व्यापक अवसर हैं;

ii. भारतीय स्टार्टअप्स के लिए पूंजी प्रवाह बढ़ानाः वैश्विक निवेशक समुदाय को उच्च गुणवत्ता प्रौद्योगिकी एवं गैर-प्रौद्योगिकी संबद्ध स्टार्टअप्स का प्रदर्शन; तथा

iii. कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देनाः निवेशक समुदाय द्वारा लिए गए मुद्दों को अभिज्ञात कर उन पर चर्चा करना।

[वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग देखें का. ज्ञा. सं. फा.सं. 5/7/2020-एफडीआई(अ)- भाग दो दिनांक 23.12.2020]

सिफारिश (क्र.सं. 2)

2. समिति विभिन्न सरकारी स्कीमों के माध्यम से देश में एक प्रोत्साहक स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और नवप्रर्तन को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदमों को संतोषपूर्वक नोट करती है। समिति चाहती है कि युवा लोगों को प्रोत्साहन और सहायता देकर और ग्रामीण स्तर पर भी स्टार्टअप संस्कृतिका विस्तार करके स्टार्टअप के दायरे को और बढ़ाया जाए। विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप संस्कृति को अत्यंत वृहत्तर पैमाने पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

i. 16 अक्तूबर, 2020 की स्थिति तक, 49 उद्योगों और 210 सेक्टरों के अंतर्गत 38,755 स्टार्टअप्स अभिज्ञात किए गए हैं।

ii. सा.का.नि. 127(अ.) की दिनांक 19 फरवरी, 2019 की अधिसूचना के अनुसार, एक इकाई निम्नानुसार स्टार्टअप के रूप में मानी जाएगीः

- यदि वह इकाई भारत में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अथवा पंजीकृत भागीदारी फर्म अथवा सीमित देयता भागीदारी के रूप में निगमित हुई है तो निगमित/पंजीकृत होने की तारीख से 10 वर्षों की अवधि तक।
- निगमित/पंजीकृत होने से किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए इकाई का कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक न हो।
- इकाई नवाचार, विकास अथवा उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं में सुधार की दिशा में कार्यरत हो, अथवा यदि उसमें रोजगार अथवा धन सृजन की अधिक संभावना वाला मापनीय कारोबारी मॉडल हो।

iii. डीपीआईआईटी से मान्यता मिलने के पश्चात्, स्टार्टअप आयकर अधिनियम की धारा 80 आईएसी के तहत कर छूट के लिए आवेदन कर सकता है। आयकर छूट संबंधी अनापत्ति प्राप्त होने पर, स्टार्टअप अपने निगमन से पहले 10 वर्षों में से 3 लगातार वित्त वर्षों के लिए कर अवकाश प्राप्त कर सकता है।

iv. वित्त वर्ष 2020-21 से, पात्र स्टार्टअप से ईएसओपी प्राप्त करे वाले स्टार्टअप के कर्मचारी को विकल्प का चयन करने वाले वर्ग में कर भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। कर्मचारी कर का भुगतान तभी करेगा जब वह स्टॉक का विक्रय करेगा। इससे स्टार्टअप्स के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने में सहायता मिलती है।

v. डीपीआईआईटी – मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स सभी 36 राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों में मौजूद हैं, जिनमें से भारत के 597 जिलों में कम से कम एक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप मौजूद है।

vi. भारत के टियर II और टियर III शहरों में सबसे निचले स्तर के उद्यमियों को अभिज्ञात करने और उनको वृद्धि करने के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डीपीआईआईटी द्वारा 2017 में स्टार्टअप यात्रा पहल आरंभ की गई थी। इस पहल के अंतर्गत 23 राज्यों में 220 जिलों से भी अधिक जिलों को शामिल किया गया और 78,000 से अधिक आकांक्षी उद्यमियों से संपर्क साधने में यह पहल कारगर रही।

vii. डीपीआईआईटी द्वारा 2020 में, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार पहल के पहले संस्करण में, 23 राज्यों व 04 संघ क्षेत्रों में से 1641 स्टार्टअप की ओर से आवेदन प्राप्त हुए थे इनमें से 38 प्रतिशत आवेदक टियर II और टियर III शहरों से थे।

viii. डीपीआईआईटी के स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर 4,36,666 पंजीकृत प्रयोक्ता हैं, जिनमें से 88 प्रतिशत (3,85,123) टियर II तथा टियर III शहरों से संबंधित थे। इस पोर्टल पर कुल पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देश के गैर-मैट्रो से 54.16 प्रतिशत प्रयोक्ताओं द्वारा पूछे गए थे।

[वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग देखें का. ज्ञा. सं. फा.सं. 5/7/2020-एफडीआई(अ)- भाग दो दिनांक 23.12.2020]

सिफारिश (क्र.सं. 3)

समिति नोट करती है कि भारत में स्टार्टअप को और विशेषतः यूनिकॉर्न को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय वृद्धि पूंजी की आवश्यकता है। यूनिकॉर्न कंपनियों को आरंभ में सैकड़ो करोड़ रूपये की प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होती है और तत्पश्चात उनके विस्तार के पश्चात्, उन्हें वैश्विक स्तर पर व्यवसाय करने के लिए हजारों करोड़ रूपए की आवश्यकता होती है। इस संबंध में समिति नोट करती है कि भारत की यूनीकॉर्न कंपनियों में पूंजी मुख्यतः विदेशी स्रोतों तथा यूएस और चीन से आती है। समिति का मानना है कि इस निर्भरता को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि भारत की यूनीकॉर्न कंपनियों की सहायता के लिए घरेलू पूंजी संचालित अनेक बड़ी घरेलू वृद्दधि निधियां स्थापित करके भारत आत्मनिर्भता बन सके। इसके अलावा, समिति का मत है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की 'फंड ऑफ फंड्स' भूमिका का विस्तार किया जाना चाहिए और एक 'एंकर इन्वेस्टमेंट' भूमिका निभाने के लिए इसे पूरी तरह कार्याशील/उपयोग किया जाना चाहिए। सिडबी को अधिक निधियां वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए जिससे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न कंपनियों के उल्लेखनीय विस्तार में सहायता निलेगी और इसके फलस्वरूप राष्ट्र अधिक आत्मनिर्भर बनेगा तथा अपनी आर्थिक प्रणाली के नियंत्रण के लिए एक बेहतर स्थिति में होगा। यह भी इच्छा व्यक्त की जाती है कि इन निधियों का प्रंबधन शीर्ष गुणवत्ता वाले पेशेवर प्रबंधन समूहों द्वारा किया जाए जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों यथा स्वास्थ्य देखभाल, ई-कॉमर्स, एग्रीटेक, साइबर सुरक्षा आदि में विशेषज्ञता प्राप्त हो।

सरकार का उत्तर

i. देश में सुदृढ़ स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने संबंधी प्रयासों के भाग के रूप में, भारत सरकार ने 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान की घोषणा की।

ii. इसके अनुसरण में, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के प्रमुख उद्देश्य से सिडबी के साथ 10,000 करोड़ का 'स्टार्टअप्स हेतु निधियों की निधि (एफएफएस)' स्थापित की है।

iii. यह कोष (कॉपर्स) डीपीआईआईटी (तत्कालीन डीआईपीपी) द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से 14वें और 15वें वित्त आयोग चक्रों (वित्त वर्ष 2016-20 तथा वित्त वर्ष 2021-25) के दौरान सृजित किया जाना है। 30 सितम्बर, 2020 की स्थिति तक 4077 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धताएं 57 वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) को की गई हैं।

iv. इन एआईएफ के निवेश प्रबंधक निवेश क्षेत्र के व्यावसायिक होते हैं जिनका उद्योग में वर्षों का अनुभव होता है। कई प्रबंधक अलग-अलग उद्योगों के पूर्व-उद्यमी होते हैं।

v. औसतन एक निधि का जीवन काल 08-10 वर्षों का होता है। इसमें से, आरंभिक 01-02 वर्ष निधियां जुटाने में व्यतीत हो जाते हैं जबकि निवेश अवधि 05-06 वर्षों की होती है। इसको देखते हुए, निधियों की निधि में से आहरण तत्काल नहीं होता है अपितु, 06-07 वर्षों की अवधि के दौरान होता है। उदाहरण के लिए, 2020 में स्वीकृत की गई राशि का संवितरण पूर्ण रूप से लगभग 2026 तक ही हो पाएगा।

vi. वर्तमान में, 30 सितम्बर, 2020 की स्थिति तक संवितरित 1186.39 करोड़ रुपए की राशि कुल 10,000 करोड़ की एफएफएस निधि का लगभग 12 प्रतिशत थी और उक्त तारीख तक 4077 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धताओं का 29 प्रतिशत थी।

vii. जहां तक इन कंपनियों को निधि से सहायता का संबंध है, ज्ञात हो कि ये कंपनियां वृद्धि के एक निश्चित स्तर तक पहुंच चुकी हैं जब उनको इक्विटी की बड़ी राशि की आवश्यकता होती है। कालचक्र के इस स्तर पर, उनकी सहायता अक्सर उन निजी इक्विटी निवेशक प्रबंधक निधियों द्वारा की जाती है जो विशाल आकार की निधियों का प्रबंधन करते हैं, जैसे कि 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक की निधियां। एफएफएस के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार सिडबी 1000 करोड़ रुपए से अधिक की निधियों वाली एआईएफ की सहायता नहीं कर सकती है। अतः जहां आरंभिक तथा आरंभिक-वृद्धि स्तर के स्टार्टअप्स का वित्तपोषण एफएफएस के अंतर्गत एआईएफ द्वारा किया जाता है, उसके बाद के स्तर पर पहुंच चुकी कंपनियां बड़ी निधियों की ओर रुख करती हैं।

viii. डीपीआईआईटी के निवेश अवसरों को खोलने, घरेलू पूंजी जुटाने तथा स्टार्टअप्स में निवेशों के लिए घरेलू पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहित करने हेतु सतत् क्रियाशील है। स्टार्टअप इंडिया पहल के शुभारंभ से अब तक 39 विनियमों के सरल बनाया गया है जिन्हें हितधारकों जैसे कि निवेशकों के हित में किए गए विभिन्न सुधारों और दिए गए प्रोत्साहनों को विशिष्ट रूप से दर्शाया गया है।

ix. यूनिकॉर्न सहित स्टार्टअप में घरेलू पूंजी का प्रवाह बढ़ाने के लिए, डीपीआईआईटी ने संगत हितधारकों के साथ निम्नलिखित विषयों पर 2020 में पांच गोलमेज सम्मेलनों को आयोजित कियाः

- पेंशन, बीमा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास उपलब्ध अधिशेष निधियों को स्टार्टअप्स में निवेश हेतु जुटाना।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास उपलब्ध अधिशेष निधियों को स्टार्टअप्स में निवेश हेतु जुटाना (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्षता)।
- पेंशन क्षेत्र के उपक्रमों के पास उपलब्ध अधिशेष निधियों को स्टार्टअप्स में निवेश हेतु जुटाना (श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अध्यक्षता)।
- बीमा कंपनियों के पास उपलब्ध अधिशेष निधियों को वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) के माध्यम से स्टार्टअप्स में निवेश हेतु जुटाना।
- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के पास उपलब्ध अधिशेष निधियों को एआईएफ के माध्यम से स्टार्टअप्स में निवेश हेतु जुटाना।

[वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग देखें का. ज्ञा. सं. फा.सं. 5/7/2020-एफडीआई(अ)- भाग दो दिनांक 23.12.2020]

सिफारिश (क्र.सं. 12)

मौजूदा परिवेश के तहत, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि व्यापार, नकदी के लिए दबावग्रस्त है तथा व्यापारों के मूल्यन कम हुए हैं, स्वतंत्र पक्षों के बीच लेन-देन में उचित बाजार मूल्य के सिद्धांतों को लागू करने के लिए अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए, समिति यह पुरजोर सिफारिश करती है कि सेबी, आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम (फेमा) द्वारा विहित विभिन्न विधियों तथा विनियमों के तहत मूल्य निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों को अधिक सुसंगत बनाया जाए ताकि देश में बड़े पैमाने पर निवेशों के लिए एक विश्वसनीय, तर्कसंगत तथा सरल ढांचा तैयार किया जा सके। वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग, सरकारी प्राधिकरणों को मूल्य निर्धारण संबंधी दिशानिर्देश उपलब्ध कराने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकता है।

सरकार का उत्तर

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा विभिन्न कानूनों और विनियमों के अंतर्गत एक रूप बनाने के उपागम को मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देश तर्कसंगत करने को जांचने के लिए एक विशेषज्ञ समिति स्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू की जा रही है।

[वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग देखें का. ज्ञा. सं. फा.सं. 5/7/2020-एफडीआई(अ)- भाग दो दिनांक 23.12.2020]

सिफारिश (क्र.सं. 14)

समिति का यह दृढ़ मत है कि भारत कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था है जिनके पास लगातार भविष्य में उच्च आर्थिक विकास करने की क्षमता मौजूद है और यह केवल भारत के ऊर्जावान उद्यमियों को पर्याप्त जोखिम विकास पूंजी (ऋण तथा इक्विटी) उपलब्ध करवाकर ही संभव हो सकेगा। उन्हें पर्याप्त जोखिम पूंजी सहायता प्रदान कर, वे नवोन्मेषी नई सेवाएं उपलब्ध करवा सकते हैं जिसका अर्थव्यवस्था पर गुणाक प्रभाव हो सकता है। इसलिए, समिति का विश्वास है और अनुरोध करती है कि 'स्टार्टअप इकोसिस्टम' को वित्तपोषित करने के लिए एक सुदृढ़ सहायक तंत्र को स्थापित किया जाना चाहिए जिससे महामारी के पश्चात् के दौर में देश तीव्र गति से पुनः उबर जाए और तत्पश्चात् सतत् रूप से उच्च आर्थिक विकास हो सके।

सरकार का उत्तर

i. एआईएफ विनियामक श्रेणी । एआईएफ – उद्यम पूंजी कोष (वीसीएफ) की समर्पित उपश्रेणी के लिए प्रावधान करता है जो कि स्टार्टअप, नए उत्पाद, नई सेवाएं, प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा अधिकार आधारित गतिविधियां या नए कारोबारी मॉडल में मुख्य रूप से जुड़े हुए उभरते हुए या प्रारंभिक अवस्था के उद्यम पूंजी उपक्रम की असूचीबद्ध प्रतिभूतियों में प्रमुख रूप से निवेश करता है।

ii. 30 सितम्बर, 2020 तक वीसीएफ ने 26455 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धताएं जुटा ली हैं और 8373 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लगा दी है जिसमें से कम से कम दो तिहाई योग्य उद्यम पूंजी उपक्रम में लगाई जानी अपेक्षित है।

iii. केंद्रीय बजट घोषणा 2013-14 के अनुसरण में सेबी ने श्रेणी I– उद्यम पूंजी कोष कही जाने वाली "एंजेल कोष" के तहत उपश्रेणी सृजित करने के लिए एआईएफ विनियम संशोधित किया था जो स्टार्टअप/प्रारंभिक अवस्था कंपनियों में निवेश करने के लिए एंजेल निवेशक से कोष जुटाता है।

iv. श्रेणी I एआईएफ के तहत पंजीकृत 'एंजेल कोष' के संबंध में 2018-19 में बदलाव किए गए थे:

- एआईएफ और वीसीएफ द्वारा विदेशी निवेश के लिए सकल सीमा 750 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ाई गई है।
- 5 करोड़ रुपए (0.7 मिलियन अमरीकी डॉलर) से 10 करोड़ रुपए (1.41 मिलियन अमरीकी डॉलर) तक एंजेल कोष द्वारा किसी भी उद्यम पूंजी उपक्रम में अधिकतम निवेश राशि में वृद्धि
- एंजेल कोष की न्यूनतम कॉरपस की आवश्यकता को 10 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए तक कम किया गया है
- एंजेल निवेशक से कोष स्वीकार करने के लिए अधिकतम अवधि 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की वृद्धि
- एंजेल कोष द्वारा सेबी को 'योजना ज्ञापन' को दायर करने की आवश्यकता को सामग्री सूचना समाहित करने वाली 'टर्म शीट' दायर करने की आवश्यकता से बदला गया है।

v. उक्त पैरा 6 में वर्णित अनुसार जून, 2018 में, एंजेल कोष के लिए विनियामक ढांचे की योजना ज्ञापन दायर करने की आवश्यकता को टर्म शीट को दायर करने से बदलने के द्वारा कोष जुटाने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए संशोधित किया गया था। उक्त संशोधन ने एंजेल कोष निवेश की लॉकइन अपेक्षाओं और न्यूनतम निवेश सीमाओं को कम किया है। एंजेल कोष के लिए योग्य निवेश के पूल को बढ़ाने, स्टार्टअप की परिभाषा स्टार्टअप नीति (उस समय पर) के अनुसार डीआईपीपी द्वारा दी गई परिभाषा जैसे भी की गई थी।

vi. इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया जाए कि एआईएफ विनियामक स्टार्टअप में निवेश करने से एआईएफ की अन्य श्रेणी/उपश्रेणी को प्रतिबंधित नहीं करते हैं।

vii. डीपीआईआईटी देश में स्टार्टअप आंदोलन को बढ़ाने के लिए निरंतर उपाय करवा रहा है।

viii. डीपीआईआईटी विनियामक परिवेश को सुगम और सुदृढ़ बनाने पर कार्य कर रहा है जिसमें हमारे स्टार्टअप स्थापित हो सके और काम कर सके।

देश में स्टार्टअप अर्थ तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत प्रमुख उपलब्धियां **अनुबंध II** में संलग्न है।

[वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग देखें का. ज्ञा. सं. फा.सं. 5/7/2020-एफडीआई(अ)- भाग दो दिनांक 23.12.2020]

अध्याय तीन

सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके सम्बन्ध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

सिफारिश (क्र.सं. 4)

समिति अब तक सामान्यतः कंपनियों और विशेषतः स्टार्टअप के संबंध में लागू किए गए प्रशासनिक और कर संबंधी सुधारों को नोट करती है। इन सुधारों के अलावा, समिति यह भी पुरजोर सिफारिश करना चाहती है कि स्टार्टअप कंपनियों (डीआईपीपी द्वारा यथानिर्धारित) में निवेश जो सामूहिक निवेश कंपनियों (सीआईवीज) यथा एआईएफ, एलएलपी और कंपनियों के माध्यम से किया जाता है, के लिए दीर्घावधि पूंजी लाभ पर कर को समाप्त कर दिया जाए और प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) में आनुपातिक रूप से वृधि की जाए ताकि राजस्व तटस्थता बनी रहे। सीआईवीज द्वारा निवेश पारदर्शी ढंग से किए जाते हैं और ये उचित बाजार मूल्य पर होने चाहिए। इस प्रकार, इन निवेशों से जुड़े एसटीटी की गणना आसान है। इन सीआईवीज पर एलटीसीजी लगाने के स्थान पर ऐसा किया जा सकता है और कराधान प्रणाली को बेहतर, कम उबाऊ और पारदर्शी बनाया जा सकता है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश के समान हो।

सरकार का उत्तर

i. वर्तमान कराधान व्यवस्था के अंतर्गत सूचीबद्ध शेयरों के अंतरण से उत्पन्न एलटीसीजी पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है और इन पर क्रय तथा विक्रय दोनों ही समय किए गए संव्यवहार के 0.1 प्रतिशत की दर से एसटीटी भी देय होता है। सूचीबद्ध शेयरों पर एलटीसीजी का परिकलन सूचीकरण का लाभ दिए बगैर किया जाता है। निवासी अंतरणकर्ता द्वारा असूचीबद्ध शेयरों के अंतरण पर एलटीसीजी 20 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है। तथापि, इस तरह से लेनदेनों पर एसटीटी देय नहीं होता है और इन्हें सूचीकरण का लाभ भी अनुमत होता है।

ii. सीआईबी द्वारा स्टार्टअप की असूचीबद्ध शेयरों के अंतरण से उत्पन्न एलटीसीजी के लिए कर छूट देने के संबंध में, यह नोट किया जा सकता है कि सरकार की कथित नीति सभी छूटें/कटौतियां खत्म करना और समानांतर रूप से कर दर कम करना है। इस नीति के अनुसरण में सूचीबद्ध शेयरों से उत्पन्न एलटीसीजी पर कर दर एक दशक से अधिक पश्चात्

2018 में फिर से शुरू किया गया। इसलिए, किसी भी प्रकार की छूट देना सरकार की कथित नीति के खिलाफ होगा।

iii. स्टार्टअप में निवेश के लिए छूट देने के संबंध में यह नोट किया जा सकता है कि 'स्टार्टअप' को विनिर्दिष्ट निकाय माध्यम परिभाषित किया गया है जोकि नवोन्मेष, उत्पाद या प्रक्रम या सेवाओं के विकास या सुधार या यदि ये रोजगार या संपत्ति सृजन के उच्च संभावना वाले आरोध्य कारोबार में लगे हों। इस परिभाषा का अनुसरण करते हुए, कोई भी नया व्यापार स्टार्टअप समझा जा सकता है। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट के अनुसार उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन द्वारा स्टार्टअप के रूप में 34 हजार से अधिक निकाय पंजीकृत किए गए हैं। इसलिए, स्टार्टअप में निवेश के लिए छूट प्रदान करने के परिणामस्वरूप ऐसी नई कंपनियों को बड़ी संख्या में निवेश के लिए छूट प्रदान करनी होगी।

iv. इसके अतिरिक्त, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के मौजूदा दिशा-निर्देश के अनुसार एआईएफ में न्यूनतम निवेश 1 करोड़ रुपए है इस तरह, निवेश केवल उच्च निवल योग्य व्यक्ति को ही लाभ देगा जो केवल एआईएफ में निवेश कर सकता है। यह उद्यमी के लिए अन्यायपूर्ण होगा जो लघु व्यापार उद्यम के रूप में शुरू करता है क्योंकि उसे कर अदा करना अपेक्षित होगा जबकि अमीर व्यक्ति जो अधिक सक्षम है सीआईवी के जरिए निवेश करने के द्वारा छूट का फायदा लेगा। इसलिए, सीआईवी द्वारा किए गए निवेश को किसी तरह की छूट प्रदान करना प्रगतिशील कराधान नीति के पूर्णतः (पूरी तरह से) खिलाफ होगा जो कि इस बात पर आधारित है कि अमीर व्यक्ति को अधिक कर अदा करना चाहिए।

v. जैसा कि पूंजीगत लाभ कर के बजाय एसटीटी लगाने के प्रस्ताव का संबंध है यह नोट किया जा सकता है कि एसटीटी लेनदेन की मात्रा पर लगाया जाता है और इसका लेनदेन पर हुई वास्तविक लाभ/हानि के साथ कोई सहसंबंध नहीं है। जबकि लेनदेन पर हुई वास्तविक लाभ/हानि की गणना करके पूंजीगत लाभ पर कर लगाया जाता है। यदि असूचीबद्ध शेयरों के अंतरण पर एसटीटी को राजस्व रहित बनाया जाना है तो लेनदेन से हुए वास्तविक लाभ/हानि को एसटीटी लगाने के लिए गणना करने की आवश्यकता होगी। एक बार राजस्व रहित तरीके से वास्तविक लाभ/हानि पर एसटीटी लगाया जाए तो पूंजीगत लाभ पर प्रस्तावित एसटीटी और वर्तमान कर के बीच कोई अंतर नहीं होगा। इसके अलावा, सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एसटीटी के लेवी की तुलना असूचीबद्ध शेयरों पर प्रस्तावित एसटीटी से नहीं की जा सकती क्योंकि

सूचीबद्ध शेयरों पर एसटीटी पूंजीगत लाभ के अतिरिक्त है न कि पूंजीगत लाभकर के बदले में। इसके अलावा, एसटीटी का एक उद्देश्य विशेष रूप से सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के व्यापारियों के मामले में एक ऑडिट ट्रेल बनाना है जोकि असूचीबद्ध शेयरों के संबंध में मामला नहीं है क्योंकि असूचीबद्ध शेयरों में व्यापार निषिद्ध है। इसके अतिरिक्त, असूचीबद्ध बाजार लेनदेन कर की लेवी के लिए सूचीबद्ध बाजार में उपलब्ध वायदा, विकल्प इत्यादि जैसे उत्पाद की मात्रा के साथ लेनदेन की मात्रा से मेल नहीं खा सकता है।

[वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग देखें का. ज्ञा. सं. फा.सं. 5/7/2020-एफडीआई(अ)- भाग दो दिनांक 23.12.2020]

सिफारिश (क्र.सं. 5)

समिति का मत है कि घरेलू जोखिम पूंजी पर कोई दंड नहीं होना चाहिए क्योंकि निम्न कर क्षेत्राधिकार और निधि प्रबंधन सेवाओं पर निम्न कर के कारण मौजूदा कर असमानता विदेशी पूंजी के लिए लाभदायक साबित हो है। समिति का यह भी मानना है कि घरेलू सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध निवेशों के बीच कर समानता होनी चाहिए। इससे विदेशी निवेशों की तुलना में घरेलू निवेशों और घरेलू गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की तुलना में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का समान अवसर मिलेंगे। समिति सिफारिश करती है कि गैर-सूचीबद्ध ऋण और इक्विटी प्रतिभूतियों में घरेलू निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए और महामारी काल रियायतें वापस लिए जाने के पश्चात सीआईवी पूंजी लाभों पर सदैव सूचीबद्ध प्रतिभूतियों वाली दर पर ही कर लगाया जाए।

सरकार का उत्तर

i. प्रस्ताव है कि सीआईवी द्वारा किए गए पूंजीगत लाभ के लिए कराधान व्यवस्था जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है सूचीबद्ध शेयरों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। उपरोक्त वर्णित कारणों के अलावा, यह भी नोट किया जा सकता है कि सूचीबद्ध शेयरों के पूंजीगत लाभ के कराधान के लिए रियायती दरों को प्रदान करने की मंशा पूंजी बाजार को बढ़ावा देना और अधिक से अधिक कंपनियों को सूचीबद्ध करना है ताकि खुदरा निवेशकों सहित निवेशकों की बचत को पूंजी बाजार से जोड़ा जाए। विनयमित माहौल में कार्पोरेट के लिए स्थिर एवं कम लागत का वित्तपोषण पूंजी बाजार प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी बाजार में अनेक देशों के द्वारा विदेशी एवं घरेलू निधि को आकर्षित करने के लिए सूचीबद्ध शेयरों के लाभ पर कर की वरीयता दी जाती है।

ii. हालांकि, कुछ विशिष्ट श्रेणी के निवेशकों को असूचीबद्ध शेयरों के हस्तांतरण पर रियायती कर दर को प्रदान करने से असूचीबद्ध शेयरों के अन्य निवेशकों में प्रतिस्पर्धा मांग आ जाएगी। इसके परिणामस्वरूप कर परिवर्तन योजना की अल्पावधि में वृद्धि होगी जिसमें पूंजी आस्तियों के हस्तांतरण को रियायती दर का लाभ उठाने के लिए असूचीबद्ध शेयरों का सहारा लिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति जो कि 10 करोड़ रुपये की कीमत की भूमि का स्वामित्व रखता है और उसी भूमि को 100 करोड़ रुपये की कीमत में हस्तांतरण करता है तो वह 90 करोड़ रुपये पर 20 प्रतिशत की दर से पूंजी लाभ कर देने का पात्र होगा। यदि असूचीबद्ध शेयर के हस्तांतरण पर 10 प्रतिशत दर कर लगाया जाए तब उसे भूमि के हस्तांतरण का 100 प्रतिशत स्वामित्व असूचीबद्ध कंपनी के शेयर के माध्यम से अंतरण करना होगा जिसमें केवल उक्त भूमि ही संपत्ति होगी। इस प्रक्रिया के द्वारा वह 9 करोड़ रुपये का पूंजी लाभ, भूमि के लेनदेन करने के लिए, केवल एक असूचीबद्ध कंपनी के निर्माण के उपरांत बचा लेगा।

[वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग देखें का. ज्ञा. सं. फा.सं. 5/7/2020-एफडीआई(अ)- भाग दो दिनांक 23.12.2020]

सिफारिश (क्र.सं. 13)

समिति का यह मत है कि स्टार्टअप को वित्तपोषित करने के लिए पूंजी के अधिक स्रोत उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कंपनियों तथा एलएलपी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एनबीएफसी वर्गीकृत किए बिना स्टार्टअप में निवेश करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा केवल ऋणमुक्त कंपनियों तथा एलएलपी को अनुमति प्रदान करके ही किया जा सकता है जिससे उन्हें एनबीएफसी नाम दिए जाने से बाहर रखा जा सके। इसलिए, कंपनियों तथा एलएलपी ऋण नहीं ले सकते हैं तथा तत्पश्चात्, निवेश करने के लिए उधार ली गई उन निधियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उनके निवेश को निवेशकों द्वारा या तो इक्विटी में योगदान अथवा आंतरिक प्रोदभूत से ही किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि इन 'व्हीकल्स' के माध्यम से वित्तपोषण प्रणाली से कोई 'लाभ' नहीं ले। इसके साथ-साथ जब तक एलएलपी में 20 से कम सदस्य है, उन्हें सेबी द्वारा सामूहिक निवेश योजनाओं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के संबंध में:

(क) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) वह कंपनी है जो ऋणों और अग्रिमों, शेयरों/स्टॉक/बांड्स/डिबेंचर/सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या ऐसे स्वरूप की अन्य बाजार योग्य प्रतिभूतियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिप्राप्ति, पट्टा देना, किराय पर लेना-खरीदना बीमा कारोबार, चिट कारोबार के व्यापार में संबद्ध कंपनी है।

(ख) रिजर्व बैंक से पंजीकरण के प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना कोई भी एनबीएफसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के व्यापार को शुरू या कर नहीं सकती है।

इसलिए एनबीएफसी के लिए रिजर्व बैंक से पंजीकृत होना एक कानूनी आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, केवल रिजर्व बैंक एनबीएफसी के रूप में "कंपनियों" को पंजीकृत करती है। यह तथापि नोट किया जा सकता है कि बहुत सी विनियामक छूटें हैं जो उन एनबीएफसी को दी गई है जो कि कोई भी सरकारी कोष जुटाते नहीं है और उनका कोई भी ग्राहक इंटरफेस (टाइप । एनबीएफसी) नहीं है। उदाहरण के लिए, सरकारी कोषों में पहुंच न करने के लिए भारत में ऋण/निवेश के केंद्रीकरण मानदंड किसी भी एनबीएफसी को लागू नहीं होते हैं। उचित प्रथा संहिता केवल उन एनबीएफसी पर लागू है जिनका ग्राहक इंटरफेस है। इसके अतिरिक्त, नकदी जोखिम प्रबंधन ढांचें पर दिशा-निर्देश टाइप । एनबीएफसी को लागू नहीं करवाया गए हैं।

कुल मिलाकर यदि कानूनी संशोधन किए नहीं जाते है तो एनबीएफसी के रूप में योग्य कंपनियों के गैर-पंजीयन को आगे अनुसरण नहीं किया जा सकता।

एफएम प्रभाग की टिप्पणियां

सेबी ने यह स्पष्ट किया था कि वे समझतें हैं कि स्टार्टअप में कंपनी/एलएलपी द्वारा निवेश के रूप में वित्तपोषण अर्थ तंत्र पर स्थायी समिति की अनुसंशाएं इक्विटी या आंतरिक अर्जन के जरिए होंगी। ये सामूहिक निवेश योजना के रूप में वर्गीकृत नहीं होगी क्योंकि सदस्यों की संख्या पर विचार किए बिना इक्विटी के जरिए कोष जुटाना सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11कक के संबंध में सीआईएस के रूप में योग्य नहीं होंगी।

[वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग देखें का. ज्ञा. सं. फा.सं. 5/7/2020-एफडीआई(अ)- भाग दो दिनांक 23.12.2020]

अध्याय चार

सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके सम्बन्ध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है

सिफारिश (क्र.सं. 7)

समिति सिफारिश करती है कि वैश्विक परंपराओं के अनुसार, भारत में बड़ी वित्तीय संस्थाओं को उनके निवेश योग्य अधिशेष के एक हिस्से को घरेलू निधियों में लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे स्टार्टअप निवेशों के लिए बहुप्रतीक्षित अतिरिक्त घरेलू पूंजी मिलेगी। इस उद्देश्य के लिए, समिति निम्नलिखित विशिष्ट उपायों की सिफारिश करती है:

(i) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) और राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस) को 'फंड-ऑफ-फंड्स' कार्यक्रम चलाने के लिए पेशेवर निधि प्रबंधकों से बोलियां आमंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसमें भागीदारी के लिए सिडबी भी पात्र होगा। इसके अलावा, पेंशन निधि निवेश की आवश्यकता जैसे प्रतिबंधों की समाप्ति से एनपीएस द्वारा आईएफ में निवेश में आने वाली बाधा में उल्लेखनीय रूप से कमी आएगी। समिति यह भी सिफारिश करना चाहती है कि पेंशन निधियां वर्तमान में अपनी निधियों का एक छोटा प्रतिशत एआईएफ के लिए आबंटित करने से शुरूआत कर सकती है और क्रमश: अनुभव में वृद्धि के साथ वे इससे वृद्धि कर सकती हैं।

(ii) बड़े बैंकों को मिलकर 'फंड ऑफ फंड' का गठन करना चाहिए। इसके अलावा, बैंकों को जोखिम उठाने की मौजूदा सीमा को बढ़ाए जाने और साथ ही श्रेणी-।।। के एआईएफ में निवेश किए जाने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

(iii) बीमा कंपनियां (जीवन और गैर जीवन) को सीधे वीसी/पीआई निधियों में अधिक जोखिम सीमा के साथ सीधे ही 'फंड ऑफ फंड' में निवेश किए जाने के लिए आईआरडीएआई द्वारा अधिक छूट दी जानी चाहिए। समिति चाहती है कि उद्योग द्वारा एआईएफ निवेशों पर बीमाकर्ता से जुड़े मुद्दों पर एक संकल्पना टिप्पण शीघ्रातिशीघ्र भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) को प्रस्तुत किया जाए ताकि तुरंत उस दिशा में सकारात्मक उपायकिए जा सकें। इसके अलावा, समिति सिफारिश करती है कि एक पृथक श्रेणी के तहत तैयार किया जाना चाहिए और गैर अनुमोदित निवेशों के तहत अन्य निवेशों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

(iv) विदेशी विकास वित्त संस्थानों को स्थानीय परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों के साथ भागीदार करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाए ताकि 'फंड ऑफ फंड' ढांचे को विशेष रूप से सामाजिक प्रभाव, स्वास्थ्य परिचर्चा तथा उद्यम/निवेश क्षेत्रों में स्थापित किया जा सके।

समिति को विश्वास है कि इन कदमों से न केवल अर्थव्यवस्था में अधिक पूंजी का निवेश होगा बल्कि देश के लिए कतिपय सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति के करीबी पहुंचने में भी मदद करेगा।

सरकार का उत्तर

सरकार ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि:

"(i) भारत सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् हुई थी के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की शुरूआत पुरानी पेंशन प्रणाली परिभाषित लाभयोजना के बदलाव में की गई थी। अब यह प्रणाली मुख्य सभी राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए ली गई है। 1 अप्रैल, 2009 से एनपीएस को गैर-सरकारी क्षेत्र ने भी अपना लिया है।

वर्तमान में, प्रबंधन के अंतर्गत आस्तियां (एयूएम) का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों जिनमें केंद्रीय एवं विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारी शामिल हैं, के लिए है।

पीएफआरडीए द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पेंशन निधि द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों, कार्पोरेट ऋण और सूचीबद्ध इकाइयों की इक्विटी में निवेश किया जाता है और सुरक्षा स्तर मूल्यांकन पद्धति द्वारा चिन्हित बाजार आधार पर कीमत आंकी जाती है। एक व्यावसायिक मूल्यांकन एजेंसी को प्रतिभूतियों के प्रतिदिन के मूल्यांकन को प्रदान करने के लिए जिसके आधार पर (सकल आस्ति मूल्यांकन) एनएवी परिकलित होती है के लिए रखा गया है और पेंशन निधि द्वारा प्रतिदिन आधार पर प्रकाशित किया जाता है।

एनपीएस के अंतर्गत निजी क्षेत्र अभिदाता के लिए पीएफआरडीए द्वारा जारी निवेश के दिशा निर्देश सेबी विनियमित ''वैकल्पिक निवेश निधि'' एआईएफ (केवल वर्ग । और वर्ग ।।) जैसाकि सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियामक 2012 में वर्णित है, में निवेश करने की अनुमति देता है, आस्तियां वर्ग क के लिए संपूर्ण सीमा के 5 प्रतिशत के अंदर। संपत्तियों वर्ग (क) के अंतर्गत आने वाली संपत्तियां वर्तमान में लगभग 50 करोड़ रुपये की है जिसमें कुछ संख्या अभिदाताओं की है। असूचीबद्ध वैकल्पिक निवेश निधि में निवेश मूल्यांकन एवं नकदी की चुनौतियों के कारण व्यवहार्य नहीं हो सकता है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि पेंशन निधि प्रबंधक अभिदाता के जमा राशि में अभिदाता की पसंद और वैकल्पिक निवेश निधि में भी निवेश इस कारक पर निर्भर करता है।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा निवेश जैसे एक अस्थायी निधियों के निधि का संबंधित संस्था का निवेश निर्णय है जो कि स्वतंत्र है और परिचालन मामले में कार्य प्रणाली की एकलता से चलता है।

(क) भारत के छोटे औद्योगिक विकास बैंक स्टार्ट-अप (एफएफएस) के लिए निधियों की निधि का प्रबंधन कर रहे हैं जो कि 10,000 करोड़ रुपये की राशि है और जिसका निवेश वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में किया जाएगा जो कि स्टार्ट-अप व्यवसाय में निवेश करेगा।

(ख) बैंकों के लिए वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के संबंध में बैंक (आरबीआई) के दिशा निर्देशों के अनुसार है।

इस संबंध में आरबीआई ने निम्नलिखित बातें कही हैं:

निधियों की निधि में एक बैंक का अन्य बैंक के साथ निवेश, उस बैंक का व्यवसायिक निर्णय है। वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निधियों की निधि के माध्यम से बैंक द्वारा किया गए अंतिम निवेश को आरबीआई महत्वपूर्ण नियमावली/सीमा के एआईएफ के वर्ग ।/।। में बैंक निवेश अंतर्गत और एआईएफ के वर्ग ।।। में निवेश पर प्रतिबंधों को नीचे विस्तृत रूप से दिया गया है।

क. एआईएफ के वर्ग । और वर्ग ।। के 10 प्रतिशत देय पूंजी में निवेश करने के लिए स्वतंत्र होंगे, वे आरबीआई से पूर्व अनुमोदन के पश्चात 10 प्रतिशत से परे भी निवेश कर सकते हैं।

ख. एमआईएफ वर्ग ।।। में बैंकों द्वारा निवेश को विशिष्ट रूप से निधियों की जोखिम भरी प्रकृति और जटिल व्यापारी युक्तियों के कारण प्रतिबंधित किया गया है। बैंकों की सहायक कंपनी को एआईएफ के वर्ग ।।। में प्रयोजकता/प्रबंधकों की न्यूनतम विनियामक आवश्यकता तक निवेश करने की अनुमति है।

(iii) एआईएफ ''अन्य निवेशकों'' का हिस्सा है जिसमें जो प्रोफाइल, नकदी, परिपक्वता अवधि विन्यास और अपफ्रंट पर निवेश प्रस्ताव को देखने के लिए उपलब्ध सूचना के लिए। एआईएफ में निवेश के लिए आईआरडीएआई ने निवेश मास्टर परिपत्र जीवन बीमा की स्थिति में निधि के 3 प्रतिशत की सीमा और सामान्य बीमा की स्थिति में 5 प्रतिशत की सीमा की अनुमति दे दी है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्य निवेशकों के हिस्से में भी 30 जून, 2020 तक एआईएफ निवेश के लिए पर्याप्त है।

आईआरडीएआई ने सूचित किया है कि बीमा अधिनियम 1938 के अनुभाग 27ई के अनुपालन के संबंध में आरबीसीए से संकल्प नोट को अभी भी प्राप्त करना बाकी है।

(iv) निधियों के निधि ढांचा या प्रत्यक्ष वीसी/पीई निधियों की स्थापना के माध्यम से एफडीएफआई भागीदारी के संबंध में यह वर्णित किया जाता है कि सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) नियामक, 2012 के अनुसार ट्रस्ट या एक कंपनी या एक सीमित दायित्व भागीदारी या स्वायत्त निकाय के रूप में भारत में स्थापित या निगमित जो कि एक निजी संयोजित निवेशक वाहन हो जो कि निवेशकों से निधियों का संकलन अन्य पात्रता आवश्यकता की संतुष्टि के शर्त के साथ इसके निवेशकों के लाभ के लिए परिभाषित निवेश नीति के अनुसार निवेश करने के लिए करता हो चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, का पंजीकरण कर दिया जाएगा।

विदेशी डीएफआई/पेंशन निधि और संस्थात्मक निवेशक एआईएफ समेत एआईबी में निवेश करने के लिए स्वतंत्र है। एफआईआई द्वारा अनेक मॉडलों को अपनाया जा चुका है जिसमें स्टार्ट-अप में प्रत्यक्ष निवेश, एआईएफ की स्थापना करना, वीसी/पीई निधि में निवेश करना जैसे एनआईआईएफ, अपनी स्वयं की प्लेटफॉर्म कंपनी की स्थापना करना, इनविट इत्यादि की स्थापना। एआईएफ के विभिन्न वर्ग पर राइट-अप को अनुबंध-1 में संलग्न किया गया है।

[वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग देखें का. ज्ञा. सं. फा.सं. 5/7/2020-एफडीआई(अ)- भाग दो दिनांक 23.12.2020]

(समिति की टिप्पणियों हेतु प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 7 देखें)

सिफारिश (क्र.सं. 9)

समिति, वैकल्पिक निवेश निधियों को पूंजीगत बाजारों में सूचीबद्ध करने की अनुमति प्रदान करने की ओर इंगित करती है जिसके परिणामस्वरूप 'स्टार्टअप इकोसिस्टम' के लिए पूंजी के स्थायी स्रोत तैयार हो सके। समिति यह चाहती है कि 'मिड मार्केट पर्मानेंट कैपिटल व्हीकल – पर्मानेंट कैपिटल व्हीकल संबंधित प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाए तथा इस संबंध में, उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा मंत्रालय के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाए ताकि इस संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई की जा सके। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) तथा जर्मन इंवेस्टमेंट एंड डवलपमेंट कंपनी (डीईजी) की तर्ज पर अधिक घरेलू विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई) का सृजन करने हेतु बल दिए जाने की आवश्यकता है ताकि अर्थव्यवस्था की विभिन्न क्षेत्रों का वित्तपोषण किया जा सके। इसके अलावा, 'यूनीवर्सिटी एडावमेटस' को

एआईएफ में निवेश करने की अनुमति प्रदान करना दीर्घकाल में अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हो सकता है ताकि अर्थव्यवस्था में सतत् विकास किया जा सके।

सरकार का उत्तर

सरकार ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि:

" वर्तमान में, संसद के अधिनियम से स्थापित चार अखिल भारतीय वित्तीय संस्था हैं (एआईएफआई) जो कि नीचे वर्णित अपनी संबंधित क्षेत्र में विकास वित्तीय संस्था (डीएफआई) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(i) **भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी)** छोटे प्रकार के उद्योग और संस्थाओं के समारोह का संचालन करते हैं जो कि छोटे उद्यमों के प्रोत्साहन, वित्तपोषण में लगे हुए को प्रोत्साहन, वित्तपोषण और उद्योगों को विकास प्रदान करते हैं।

(ii) **राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)** कृषि, छोटे उद्यमों, कपास एवं ग्रामीण उद्योग, हथकरघा और अन्य ग्रामीण शिल्प एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य संबंधित आर्थिक क्रियाकलापों जिसमें एकीकृत ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन एवं विकास के लिए उधार एवं अन्य सुविधाओं को प्रदान एवं विनियमित करती है।

(iii) **भारतीय आयत एवं निर्यात बैंक(एग्जिम बैंक)** निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माल और सेवाओं के निर्यात और आयात को वित्त पोषित करने में संबद्ध संस्थानों की काम करने में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है।

(iv) **राष्ट्रीय आवासन बैंक (एनएचबी)** स्थानीय और प्रादेशिक स्तर दोनों में आवासन वित्तीय संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करती है और ऐसे संस्थानों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएस), 2006 में स्थापित भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आईआईएफसीएल योग्य अवसंरचना परियोजना उपक्षेत्र और उत्पाद प्रस्ताव के संबंध में अधिक विविधता वाले सरकारी क्षेत्र अवसंरचना ऋणदाता में से है।

बजट भाषण 2019-20 में दीर्घावधिक वित्त और विकास वित्त संस्थानों से पूर्व अनुभव के संबंध में वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने और विकासात्मक वित्त संस्थानों के जरिए ढांचे और अपेक्षित कोषों के प्रवाह की अनुशंसा करने के लिए विशेषज्ञ समिति को स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। इसके पश्चात, डीएफएस ने क्षेत्र विशेष आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए डीएफआई स्थापित करने हेतु विचार-विमर्श की प्रक्रिया की है।

सेबी में स्थायी पूंजी वाहक (पीसीवी) की शुरूआत के लिए एआईएफ उद्योग से प्रारंभिक प्रस्ताव की प्राप्ति हुई है। प्रस्ताव पर 03 नवम्बर, 2020 को आयोजित हुई एआईपीएसी की 16वीं बैठक में संक्षिप्त रूप में विचार किया गया था जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि एआईपीएसी का कार्यशील ग्रुप पीसीवी पर विस्तृत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श और प्रस्तुत करेगा।

विश्वविद्याल/शैक्षणिक न्यास भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत न्यास के रूप में स्थापित की जा सकी। इस अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, न्यास को कोई भी निवेश करवाने की भी अनुमति है जहां तक न्यास/न्यास की लिखत ऐसे निवेशकों प्राधिकृत करती हो। चूंकि यह आजादी न्यासों को पहले ही दी जा चुकी है, इनमें कोई रोक नहीं है और न्यास दस्तावेज में स्पष्ट रूप से उल्लेखन के द्वारा एआईएफ में निवेश का चयन कर सकती है।"

[वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग देखें का. ज्ञा. सं. फा.सं. 5/7/2020-एफडीआई(अ)- भाग दो दिनांक 23.12.2020]

(समिति की टिप्पणियों हेतु प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 10 देखें)

सिफारिश (क्र.सं. 10)

समिति यह चाहती है कि ऐसे क्षेत्र जिनमें विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशक (एफवीसीआई) को निवेश करने की अनुमति है, उन्हें विस्तार देकर उसमें ऐसे सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए जहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को निवेश करने की अनुमति है, चूंकि यह पद्धति, लचीला निवेश ढांचा उपलब्ध कराती है और इस प्रकार यह अर्थव्यवस्था में पर्याप्त पूंजी आकर्षित कर पाएगी। समिति यह महसूस करती है कि पूंजी की यह आवसक अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। समिति का यह मत है कि चूंकि विदेशी निवेशक/पूलिंग व्हीकल्स को इक्विटी पूंजी अथवा लिखतों में निवेश करने की अनुमति है जो एफडीआई रूट के तहत अनिवार्य रूप से इक्विटी में संपरिवर्तनीय है, अब 'हाईबिड प्रतिभूतियों' को कम से कम सीमित अवधि के लिए जारी किए जाने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने

हेतु आवश्यकता है, जिनमें एफडीआई रूप में ऋण तथा इक्विटी दोनों की विशेषताएं हैं ताकि कंपनियों की वित्त – उगाही करने की क्षमताओं को बढ़ाया जा सके ताकि इस मुश्किल समय में वाणिज्यिक रूप उपर्युक्त शर्तों पर पूंजी की उगाही की जा सके।

सरकार का उत्तर

सरकार ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि:

"विदेशी उद्यम पूंजी निवेश (एफवीसीआई) भारत के बाहर समाविष्ट एक निवेश निकाय है और यह सेबी के प्रावधानों (विदेशी उद्यम पूंजी निवेश) विनियम, 2000 के अनुसरण में सेबी के साथ पंजीकृत है।

उन क्षेत्रों के संबंध में जिसमें एफवीसीआई को निवेश करने की अनुमति है, दिनांक 20 अक्तूबर, 2016 के परिपत्र के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया जिसमें सेबी पंजीकृत एफवीसीआई को निवेश करने की अनुमति हैः

(क) जैव प्रौद्योगिकी;
(ख) हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी;
(ग) नैनोप्रौद्योगिकी;
(घ) मूल अनुसंधान और विकास;
(ङ) फार्मा क्षेत्र में नए कैमिकल निकायों का अनुसंधान एवं विकास;
(च) दुग्ध उद्योग;
(छ) मुर्गी पालन उद्योग;
(ज) जैव इंधन का उत्पादन;
(झ) 3 हजार से अधिक बैठने की क्षमता के साथ होटल सह-कन्वेंशन केंद्र;
(ञ) अवसंरचना क्षेत्रः "अवसंरचना क्षेत्र" शब्द की वही अर्थ है जो कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अधिसूचना के जरिए अनुमोदित अवसंरचना उपक्षेत्रों की सुमेलित मास्टर सूची में दिए गए हैं।
(ट) उन क्षेत्रों पर विचार किए बिना जिसमें स्टार्टअप संबंधित हो, भारतीय 'स्टार्टअप' द्वारा जारी किए गए इक्विटी या इक्विटी संबद्ध लिखत या ऋण लिखत।

उक्त प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विदेशी विनिमय प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 की अनुसूची 7 में बाद में समाहित किए गए थे।"

[वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग देखें का. ज्ञा. सं. फा.सं. 5/7/2020-एफडीआई(अ)- भाग दो दिनांक 23.12.2020]

(समिति की टिप्पणियों हेतु प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 13 देखें)

सिफारिश (क्र.सं. 11)

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय अर्थव्यवस्था 'पोस्ट कोविड-19 संकट' ग्रस्त है तथा अनेक क्षेत्रों को उबरने के लिए पूंजी की आवश्यकता है, समिति ने सिफारिश कि 31 मार्च, 2024 से पूर्व किए गए निवेश पर वित्त अधिनियम, 2020 में यथा प्रोत्साहित कम से कम 36 माह की अवधि तक निवेश बनाए जाने पर सभी क्षेत्रों में दीर्घकालीन तथा 'पेशेंट कैपिटल' पर छूट उपलब्ध कराई जाए।

सरकार का उत्तर

सरकार ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि:

वित्त अधिनियम, 2020 ने अवसंरचना क्षेत्र में किए गए निवेश के लिए आबूधाबी निवेश प्राधिकरण की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी, विनिर्दिष्ट सावरेन वेल्थ कोष और पेंशन कोष के लाभांश, पूंजी लाभ और ब्याज से आय को छूट प्रदान की है। इस संबंध में यह भी नोट किया जाए कि यह छूट अवसंरचना क्षेत्र तक ही सीमित है क्योंकि अवसंरचना क्षेत्र तीव्र आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है और यह संपोषणीय विकास का आधार बनाता है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में दीर्घ परिपक्वता अवधि और उच्च पूंजी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र में पूंजी की कमी को महसूस किया गया है और इसलिए 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन हेतु देने की आवश्यकता महसूस की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रोत्साहन के कार्यक्षेत्र को विस्तृत करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 की अधिसूचना के द्वारा पहले ही अवसंरचना क्षेत्र की परिभाषा को विस्तृत किया गया है। सभी क्षेत्रों को लाभ देने के परिणामस्वरूप पूंजी की मांग वाले अवसंरचना क्षेत्र पर ध्यान केंद्र की कमी होती है क्योंकि विदेशी कोष उच्च प्रतिफल और कम परिपक्वता अवधि करने वाले निवेश क्षेत्रों में अधिक दिलचस्पी लेंगे।

[वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग देखें का. ज्ञा. सं. फा.सं.

(समिति की टिप्पणियों हेतु प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 16 देखें)

अध्याय पांच

सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके सम्बन्ध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

सिफारिश (क्र.सं. 6)

समिति समझती है कि अधिकांश राष्ट्र विदेशों से देश में आई निधियों पर जीएसटी में छूट देते हैं अथवा उसे 'कम्यूट' करते हैं क्योंकि इन निधियों के अंतिम निवेशकर्ता विदेशों में स्थित होते हैं जिनके परिणामस्वरूप सरकार अंतत: बैंकिंग, परामर्श, वित्त और विधि फर्मों में स्थानीय 'इकोसिस्टम' रोजगार से और उनके उपभोग के द्वितीयक प्रभाव से राजस्व प्राप्त करती है। लेकिन, एआईएफ/निवेशकों के लिए वर्तमान घरेलू कराधान प्रणाली के फलस्वरूप निवेशकों और उस राशि पर, जिस पर उन्हें कर देना होता है, के वाणिज्यिक लाभों में असंगतता है अर्थात इससे निवेशकों पर अधिक कर भार पड़ता है। समिति निवेशकों को मिलने वाले प्रतिफल पर प्रबंधन शुल्क को समाप्त करने के उद्योग के प्रतिनिधियों के तर्क से सहमत है अर्थात पूंजी लाभों की गणना से पूर्व एआईएफ प्रबंधन शुल्क को घटाया जाए अन्यथा सकल प्रतिफलों पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, विदेशी निवेशकों को दी जाने वाली आस्ति प्रबंधन सेवाओं को निर्यात सेवाएं माना जाना चाहिए और उन पर जीएसटी नहीं लगाया जाना चाहिए। इससे देश के वर्तमान परिदृश्य को जहां निधियां देश के भीतर नहीं, बल्कि बाहर संग्रहीत की जा रही हैं, को बढ़ावा देने के स्थान पर आस्ति प्रबंधन उद्योग की वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार का उत्तर

सरकार ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि:

"केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मंत्रियों से बनी सेबी जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित निर्यातों पर क्या कोई गतिविधि योग्य होगी जो कि जीएसटी दर, छूट और साथ ही साथ मापदंड को तय करेगी। परिषद सभी महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखती है। केवल अपवाद बनाने के लिए आस्तियां प्रबंधन सेवाओं के क्रियाकलाप विकृति की तरफ जाते हैं। वह मुद्रा भली प्रकार से परिषद के समक्ष विचार हेतु रखना चाहिए।"

[वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग देखें का. ज्ञा. सं. फा.सं. 5/7/2020-एफडीआई(अ)- भाग दो दिनांक 23.12.2020]

सिफारिश (क्र.सं. 8)

समिति यह चाहती है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में 'वेंचर कैपिटल' को निवेश करने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए जिससे उनके पूंजी आधार को बढ़ाने में मदद मिले। समिति नोट करती है कि रीयल एस्टेट न्यास (आरईआईटी) के सफल प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) ने पहले ही यह दर्शाया है कि विशिष्ट प्रकार के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए परिसंपत्ति पोर्टफोलियो को एक साथ जोड़ा जा सकता है और इस प्रकार यह सिफारिश करती है कि एनबीएफसी को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की अनुमति देनी चाहिए वह बृहद निवेश पूल को आकर्षित करने में सक्षम हो।

सरकार का उत्तर

सरकार ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि:

"**सेबी/एफएम अनुभाग की टिप्पणियां (एफएमडी ने सेबी की टिप्पणियों को प्रस्तुत किया है):**

भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड (सेबी) वर्तमान में वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ)-वेन्चर पूंजी निधि (वीसीएफ) को आरबीआई में पंजीकृत एनबीएफसी में निवेश करने की अनुमति के लिए एआईएफ उद्योग से प्राप्त प्रस्ताव की जांच कर रही है। इस प्रस्ताव पर वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति (एआईपीएसी) की 15वीं बैठक में चर्चा की गई जहां आरबीआई ने कहा कि आरबीआई के पास प्रथम दृष्टि में एनवीएफसी में वर्ग-। एआईएफ-वीसीएफ को निवेश में अनुमति देने में कोई विनियामक प्रसंग नहीं है।सेबी समग्र रूप से सीबीडीटी और विभिन्न स्टॉक होल्डरों से परामर्श करके उनके विचारों की प्राप्ति करे।"

[वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग देखें का. ज्ञा. सं. फा.सं. 5/7/2020-एफडीआई(अ)- भाग दो दिनांक 23.12.2020]

नई दिल्ली;
29 जुलाई, 2021
7 श्रावण, 1943 (शक)

श्री जयंत सिन्हा
सभापति
वित्त संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध-I

एआईएफ की विभिन्न श्रेणियां

आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में एआईएफ के रूप में पजीकरण कर सकते हैंऔर इसके बाद उप-श्रेणियों के रूप में, जैसा भी हो: [संदर्भ सेबी (एआईएफ) विनियमन, 2012 का विनियमन 3(4)]

1. श्रेणी I एआईएफ:
    - उपक्रम पूंजी निधि (एंजेल निधि सहित)
    - एसएमई निधि
    - सामाजिक उपक्रम निधि
    - अवसंरचना निधि
2. श्रेणी II एआईएफ
3. श्रेणी III एआईएफ

श्रेणी I एआईएफ: एआईएफ जो स्टार्ट-अप या शुरूआती चरण के उपक्रमों या सामाजिक उपक्रमों या एसएमई या अवसंरचना या अन्य क्षेत्रों या क्षेत्रों में निवेश करते हैं, जिन्हें सरकार या नियामक सामाजिक या आर्थिक रूप से वांछनीय मानते हैं और इसमें उपक्रम पूंजी निधि, एसएमई निधि, सामाजिक उपक्रम निधि, अवसंरचना निधि और ऐसे अन्य वैकल्पिक निवेश निधि शामिल हैं जिन्हें विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं। [संदर्भ विनियमन 3(4)(ए)

श्रेणी II एआईएफ: एआईएफ जो श्रेणी I और II में नहीं आते हैं और जो दिन-प्रतिदिन की संचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लाभ उठाने या उधार लेने का काम नहीं करते हैं और जिसे सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियमन, 2012 में अनुमति दी गई है। [संदर्भ विनियमन3(4)(बी)]। विभिन्न प्रकार के निधि जैसे रियल एस्टेट निधि, निजी इक्विटी निधि (पीई निधि), संपत्ति के लिए निधि, आदि श्रेणी II एआईएफ के रूप में पंजीकृत हैं।

श्रेणी III एआईएफ: एआईएफ जो विविध या जटिल व्यापारिक रणनीतियों को नियत करते हैं और जो सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध व्युत्पन्न में निवेश के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। [संदर्भ विनियमन3(4)(सी)]। विभिन्न प्रकार के निधि जैसे हेज निधि, पीआईपीई निधिआदि श्रेणी III एआईएफ के रूप में पंजीकृत हैं।

***एंजेल निधि:** ''एंजेल निधि'' श्रेणी। वैकल्पिक निवेश निधि के तहत उपक्रम पूंजी निधि की एक उप-श्रेणी है जो एंजेल निवेशकों से धन जुटाता है और एआईएफ विनियमनों के अध्याय III क के प्रावधानों के अनुसार निवेश करता है।

एंजल निधि के मामले में यह केवल एजेंल निवेशकों के इकाइयां के मुद्दे के माध्यम से धन जुटाएगा। ''एंजेल निवेशक'' का अर्थ है, कोई भी व्यक्ति जो एंजेल निधि में निवेश करने का प्रस्ताव रखते है और एआईएफ विनियमन में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।

अनुबंध-II

स्टार्ट-अप इंडिया इनीसिएटिव के अंतर्गत प्रमुख उपलिब्धयां

15 अगस्त, 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल की घोषणा की गई थी। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा। स्टार्टअप इंडिया के लिए 16 जनवरी, 2016 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एक कार्य योजना का अनावरण किया गया था। कार्य योजना में भारत भर में फैले 19 कार्य मद शामिल हैं जैसे "सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग", "वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन" और "उद्योग-अकादमिक साझेदारी और विकास"।

भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया की पहल को एक वास्तविकता बनाने की दिशा में तेजी से प्रयास किए हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत पर्याप्त प्रगति हुई है, जिसने पूरे देश में उद्यमशीलता की लहर ला दी है।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) को अन्य सरकारी विभागों के साथ स्टार्टअप इंडिया पहल के समन्वय का उत्तरदायित्व दिया गया है। (डीपीआईआईपी) के अलावा स्टार्टअप इंडिया के तहत पहल मुख्य रूप से पांच सरकारी विभागों अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीआई), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), श्रम और रोजगार मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय एवं नीति आयोग द्वारा संचालित है।

जनवरी 2016 में पहल की शुरुआत से ही स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना के तहत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। देश में स्टार्टअप आंदोलन के संपूर्ण विकास हेतु स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना से इतर भी कई अन्य पहलें की गई हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत अब तक प्राप्त उपलब्धियों की गणना निम्न रूप से की गई है।

1. स्टार्टअप इंडिया हब

निवेश भारत के अधीन एक समर्पित स्टार्टअप हब दल का गठन किया गया था। विभिन्न राज्यों में स्टार्टअप के विकास को सुगम बनाने के लिए नीतियां बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में सहायता देने हेतु दल के सदस्य नामित किए गए हैं। स्टार्टअप में सहायता देने हेतु एक व्यापक पोर्टल की स्थापना की गई है। दिनांक 15 अक्तूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर 4,37,033 उपयोगकर्ता दर्ज किए गए। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल और स्टार्टअप इंडिया ट्विटर सेवा के माध्यम से दिनांक 13 अक्तूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार कुल 1,76,001 मामलों का समाधान किया गया।

2. स्टार्टअप की पहचान

- स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर स्टार्टअप की पहचान हेतु एक ऑनलाइन प्रक्रिया संस्थापित की गई है।
- कोई भी सत्ता या संस्था तब स्टार्टअप मानी जाएगी जबः
  - वो संस्था या सत्ता अपनी शुरुआत/पंजीकरण की तिथि से 10 वर्षों की अवधि तक भारत में एक निजी लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित अनुसार) अथवा एक भागीदारी फर्म के रूप में पंजीकृत हो (भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के अधीन पंजीकृत) अथवा सीमित देयताए वाली भागीदारी के रूप में रहे। उस संस्था का टर्नओवर उसकी स्थापना/पंजीकृत होने से लेकर किसी भी वित्त वर्ष में 100 करोड़ रु. से अधिक न हो।
  - वो संस्था या सत्ता उत्पादों अथवा प्रक्रियाओं के नवाचार, विकास अथवा सुधार की ओर कार्य कर रहा हो अथवा यदि वो स्तरीय व्यापार मॉडल हो जिसमें रोजगार सृजन अथवा संपत्ति सृजन की उच्च संभाविता हो।
  - बशर्ते कि वो संस्था किसी विद्यमान कारोबार के पुनःसृजन अथवा विघटन के द्वारा न बनी हो अन्यथा उसे 'स्टार्टअप' नहीं माना जाएगा।
- दिनांक 30 सितम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा 590 जिलों में 37,658 स्टार्टअप की पहचान की जा चुकी है और 35 हजार स्टार्टअपों से भी अधिक द्वारा 4,30,00 से भी अधिक रोजगार सृजित होने की सूचना प्राप्त हुई है।

2.1 स्वप्रमाणन आधारित अनुपालन व्यवस्था

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 36 श्वेत वर्ग उद्योगों की सूचि प्रकाशित की है। ऐसे स्टार्टअप जो कि "श्वेत श्रेणी" के अधीन आते हैं वे 3 पर्यावरण अधिनियमों के संबंध में स्वप्रमाणित अनुपालन कर सकेंगे-

1. जल (प्रदूषण बचाव) अधिनियम, 1974
2. जल (प्रदूषण बचाव) जेस (संशोधन) अधिनियम, 2003
3. वायु (प्रदूषण बचाव) अधिनियम, 1981

इसके अतिरिक्त श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राज्यों को जो दिशा-निर्देश जारी किए हैं उनके अनुसार स्टार्टअप को 6 श्रम अधिनियों के संबंध में स्वप्रमाणित अनुपालन की अनुमति होगी। ये राज्य/संघराज्य क्षेत्रों द्वारा सहमति के बाद प्रभावी होंगे। अधिनियम इस प्रकार है।

1. भवन और अन्य निर्माण कार्य (रोजगार और सेवा दशाओं के विनियमन) अधिनियम, 1996
2. अंतरराज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा दशाओं के विनियमन) अधिनियम, 1979
3. ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972
4. ठेका श्रमिक (विनियमन और समापन) अधिनियम, 1970
5. कार्मिक भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
6. कार्मिक राज्य बीमा अधिनियम, 1948

27 राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में 6 श्रम कानूनों के अधीन स्टार्टअप में स्वप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू की गई है। 9 राज्यों (हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली) ने श्रम सुविधा पोर्टल के साथ अपने पोर्टल एकीकृत कर लिए हैं। संपूर्ण रूप से 169 डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप द्वारा स्वप्रमाणन के लाभ लिए गए हैं।

2.2 सार्वजनिक खरीद को सुगम बनाना

- स्टार्टअप को निविदाओं में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए टर्नओवर और अनुभव से जुड़ी पूर्व आवश्यकताओं में छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त स्टार्टअपों को पूर्व में ही नकद जमा करने की आवश्यकता से भी छूट दी गई है।
- सरकार द्वारा उत्पादों और सेवाओं की बिक्री करने के लिए स्टार्टअप हेतु 'जैम स्टार्टअप रनवे' की शुरुआत की गई है। 7 सितम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार गवर्नमेंट-ई मार्केट प्लेस (जैम) पर 6,678 डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप पंजीकृत किए गए हैं।
- स्टार्टअप में 39,270 ऑर्डर प्राप्त हो चुके हैं। दिनांक 7 सितम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार स्टार्टअप द्वारा लिए गए ऑर्डरों का मूल्य 1413 करोड़ रु. है।
- इसके अतिरिक्त स्टार्टअप अब केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर सभी सार्वजनिक ऑर्डरों में पंजीकरण कर सकते हैं और भाग ले सकते हैं और पूर्व अनुभव, पूर्व के टर्नओवर और अर्नेष्ट नकद जमा आवश्यकताओं पर छूट पा सकते हैं।
- जैम ने डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए अनुमोदित ट्रेडमार्क प्रमाणपत्र की आवश्यकता में छूट दी है। ट्रेडमार्क के लिए एक आवेदन पर्याप्त होगा।

2.3 स्टार्टअप बौद्धिक संपदा सुरक्षा योजना

- स्टार्टअप पेटेंट फाइलिंग फीस में 80 प्रतिशत छूट और ट्रेडमार्क फाइलिंग फीस में 50 प्रतिशत की छूट के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त स्टार्टअप को पेटेंट देने में लिए गए समय को कम करने हेतु पेटेंट आवेदनों की जांच को शीघ्रता से कराने की सुविधा भी दी जाती है।
- इस योजना के तहत स्टार्टअप को निशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जून 2020 की स्थिति के अनुसार 510 पेटेंट सुगमकर्ता और 392 ट्रेडमार्क सुगमकर्ता पैनलबद्ध किए गए हैं।

- जून 2020 की स्थिति के अनुसार शुल्क देने में 3618 पेटेंट आवेदनों में 80 प्रतिशत की छूट दी गई। 6832 ट्रेडमार्क आवेदनों में शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई।

2.4 स्टार्टअप के लिए 3 वर्षों हेतु कर में छूट

- आयकर अधिनियम की धारा 80-आईएसी के प्रावधानों में निश्चित दशाओं के अध्यधीनकर निर्धारिती द्वारा विकल्प पर एक स्टार्टअप द्वारा 7 वर्षों में से लगातार 3 मूल्यांकन वर्षों हेतु पात्र कारोबार से प्राप्त शतप्रतिशत लाभों और प्राप्तियों के समतुल्य राशि की कटौती का प्रावधान है। वित्त अधिनियम, 2020, आयकर अधिनियम की धारा 80-आईएसी में संशोधन करते हुए यह उपलब्ध कराता है कि तथाकथित धारा 80-आईएसी के अधीन की गई कटौती पात्र स्टार्टअप के लिए उसकी स्थापना वर्ष से शुरू करते हुए 10 वर्षों की अवधी में से लगातार 3 मूल्यांकन वर्षों की अवधी हेतु लागू होगी। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभाव में आएगी और तद्नुसार मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के संबंध में और तद्नुसार आने वाले मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होगी।
- इन लाभों को प्राप्त करने के लिए एक स्टार्टअप को अनिवार्य रूप से अंतर-मंत्रालयीन बोर्ड (आईएमबी) से पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। आईएमबी की 45वीं बैठक तक 296 स्टार्टअप को आयकर में छूट दी जा चुकी है।

2.5 शुद्ध बाजार मूल्य से अधिक निवेशों पर कर में छूट

डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को एक आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(viib) के अधीन कर में तब छूट दी जाएगी जब ऐसे स्टार्टअप के संबंध में ऐसे अंशों के निर्गमन हेतु विचार किया जाए जो ऐसे अंशों की शुद्ध बाजार मूल्य से अधिक हो। आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(viib) के प्रावधानों से छूट का दावा करने के लिए स्टार्टअप को डीपीआईआईटी (अधिसूचना सामान्य सेवा नियमों 127(ई) के अनुरूप) को फॉर्म 2 में यथाहस्ताक्षरित घोषणा करनी होगी। दिनांक 13 अक्तूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार फॉर्म 2 में प्रस्तुत संस्थाओं से प्राप्त घोषणाओं के संबंध में, फॉर्म 2 में घोषणा की प्राप्ति से संबंध में सूचना 3102 संस्थाओं के संबंध में मेल कर दी गई है।

2.6 स्टार्टअप के लिए त्वरित निकास

- कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय ने स्टार्टअप को "फास्टट्रैक फर्मों" के रूप में अधिसूचित किया है जिससे स्टार्टअप अन्य कंपनियों हेतु 180 दिनों की तुलना में 90 दिनों के भीतर अपने प्रचालन पूर्ण कर सकेंगे।

2.7 स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स

- कार्यान्वयन की प्रगति पर आधारित 14वें और 15वें वित्तीय आयोग के योगदान के साथ कुल 10 हजार करोड़ रु. के साथ स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स स्थापित हुआ। स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स प्रचालनारत है और सिडबी द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है।
- दिनांक 7 अक्तूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार सिडबी को 1322.05 करोड़ रु. की राशि जारी की गई जिसमें से वर्ष 2015-16 में 500 करोड़ रु. जारी किया गया था; वर्ष 2016-17 में 100 करोड़ रु. जारी किए गए थे; वर्ष 2019-20 में 431.30 करोड़ रु. जारी किए गए थे और वर्ष 2020-21 में 290.75 करोड़ रु. जारी किए थे।
- दिनांक 7 अक्तूबर, 2020की स्थिति के अनुसार सिडबी ने 57 सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) को 4076.95 करोड़ रु. का भरोसा दिलाया है। इन निधियों से 30.603 करोड़ रु. की कॉर्पस निधि की उगाही हुई है। एफएफएस से 1198.86 करोड़ रु. लिए गए और 4065.96 करोड़ रु. 364 स्टार्टअप में निवेश किए गए।

3. स्टार्टअप पारिस्थितिकी को सुदृढ़ करने में राज्यों की भागीदारी

डीपीआईआईटी देश भर में सुदृढ़ स्टार्टअप पारिस्थितिकी विकसित करने के लिए राज्यों सरकारों के साथ गहन रूप से कार्य कर रही है।

6 फरवरी, 2018 को राज्य/संघराज्य क्षेत्रों में स्टार्टअप रैंकिंग की शुरुआत की गई थी। स्टार्टअप राज्य रैंकिंग रूपरेखा 2018 (एसआरएफ-2018) के उद्देश्य राज्यों और संघराज्यों क्षेत्रों को अपने क्षेत्राधिकार के भीतर स्टार्टअप पारिस्थितिकी को सुदृढ़ करने की ओर सक्रिय कदम उठाने हेतु प्रोत्साहित करना था। ऐसे 38 कार्य बिन्दु थे जो 7 विस्तृत क्षेत्रों में वर्गीकृत थे जैसे की

स्टार्टअप नीति और क्रियान्वयन, विकास सहायता, सीड फंडिंग, एंजिल और वेंचर फंडिंग, विनियमों का सरलीकरण, सार्वजनिक खरीद को सुगम बनाना और जागरूकता एवं पहुंच। इस रैंकिंग पद्धति का उद्देश्य राज्यों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सृजित करना है जिससे वे आगे उत्कृष्ट व्यवहार सीखे, साझा करें और उसे अपनाए। उत्कृष्ट व्यवहारों की सूची भी जारी की गई जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अमल में लाई जा रही 95 उत्कृष्ट अभ्यासों को शामिल किया गया है। राज्यों को नीतियों का निर्माण करने और उपयुक्त कार्यक्रम निष्पादित करने में सहायता देने हेतु ज्ञानवर्धक कार्यशालाए आयोजित की गई। विश्व के उत्कृष्ट पारिस्थितिकी से सूचना और ज्ञान का अंतरण सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार के प्रतिनिधियों हेतु संयुक्त राज्य अमरीका और इजराइली पारिस्थितिकी के दौरों की व्यवस्था की गई। एसआरएफ 2018 के अंतिम रैंकिंग की घोषणा 20 दिसम्बर, 2018 को की गई। राज्यों को डीपीआईआईटी द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस थका देने वाले रैंकिंग कार्य में 27 राज्यों और 3 संघराज्य क्षेत्रों ने भाग लिया।

एसआरएफ 2018 के परिणामस्वरूप नई स्टार्टअप नीतियां शुरू की गई, आवश्यक संशोधन किए गए, नये सरकारी आदेश जारी किए गए और बहुत से स्टार्टअप को मद्द दी गई। रैंकिंग अभ्यास के कुछ मुख्य प्रभाव में 25 राज्यों में स्टार्टअप नीतियों का क्रियान्वयन, 3213 स्टार्टअप को सीड फंडिंग, वेंचर निधियों के माध्यम से 163 स्टार्टअप की फंडिंग, 17 राज्यों द्वारा महिला उद्यमियों हेतु प्रोत्साहनों की घोषणा, राज्य सरकारों के सहयोग से 10.2 लाख वर्ग फिट का विकास क्षेत्र, 340 जिलों में 596 उद्यमिता सेलों की स्थापना; 19 राज्यों में 1996 मेंटरों का पंजीकरण और 21 राज्यों में 233 स्टार्टअप कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है।

विभाग ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के प्रमुख उद्देश्य के साथ 2019 के लिए स्ट्रेट्स स्टार्ट अप रैंकिंग फ्रेमवर्क शुरू किया है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में स्टार्टअप पारिस्थितिकी को मजबूत बनाने की दिशा में सक्रिय कदम उठाएं। रैंकिंग प्रक्रिया में एकरूपता और मानकीकरण को सुनिश्चित करने हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को श्रेणी एक्स (X) और श्रेणी वाई (Y) में बांटा गया है, जिसमें वाई श्रेणी में दिल्ली के अतिरिक्त सभी संघ राज्य क्षेत्र और असम को छोड़कर उत्तर पूर्व भारत के सभी राज्य; श्रेणी एक्स में अन्य सभी राज्य शामिल है।

पिछले वर्ष के स्टेट रैंकिंग फ्रेमवर्क के 38 कार्य बिंदुओं की तुलना में 2019 के स्टेट रैंकिंग फ्रेमवर्क कुल 30 कार्य बिंदुओं के साथ 7 क्षेत्रों में फैला हुआ है। फ्रेमवर्क का उद्देश्य संतुलित और पारदर्शी ढंग से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का मूल्यांकन करना है तथा इसीलिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा फीडबैक के एकत्रीकरण के लिए आवश्यक कार्य बिंदुओं के अनुपालन का दस्तावेजी प्रमाण दिया गया है। 2019 के रैंकिंग कार्य के लिए विवेचन अवधि (वह अवधि जिसमें मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए मार्च बिंदुओं के अनुपालन पर विचार किया जाएगा) 1 मई, 2018 से 30 सितम्बर, 2019 तक है।

राज्य सरकारों के भाग के रूप में, जयपुर, मुम्बई और कोच्ची में 3(तीन) दो-दिवसीय विनिमय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रश्नों के समाधान करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसों का आयोजन भी किया गया।15 से अधिक राज्यों के सरकारी पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल इन सफल स्टार्टअप राष्ट्रों में मुख्य स्टार्टअप उपक्रमों को समझने और सीखने के लिए यूएसए और जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन बातचीत का एक भाग था।

इसका अनुसरण निजी और सरकारी संगठनों के विशेषज्ञों को मिलाकर बनाई गई मूल्यांकन समिति द्वारा राज्यों के दस्तावेजी प्रमाणों के मूल्यांकन के पश्चात किया गया। फीडबैक एकत्रीकरण का सदृश कार्य डीपीआईआईटी द्वारा नियुक्त बाह्य एजेंसी द्वारा किया गया। राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थी आंकड़ों का प्रत्येक प्रयोज्य कार्य बिंदु के साथ तुलना की गई। कुल 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस कार्य में भाग लिया और 60,000 से अधिक कॉल किए गए। 11 से अधिक भाषाओं में 6500 से अधिक लाभार्थियों से फीडबैक एकत्रित की गई।

आज, 29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की अपनी स्टार्टअप नीतियां हैं। विभिन्न राज्य अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी को मजबूत बनाने के लिए स्टार्टअप को मजबूत संस्थागत और विनियामक सहायता प्रदान करने, सरकारी खरीद के मानदंडों को सुगम बनाने, इन्क्यूबेटर स्थापित करने, स्टार्टअप को वित्तपोषण अवसर प्रदान करने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न जागरूकता और आउटरीच इवेंट् आयोजित करने के द्वारा सतत रूप से क्रियाशील है।

स्टेट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 के तहत सभी कार्य अब पूरे हो चुके हैं तथा परिणामों को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

एसआरएफ 2019 के परिणाम

श्रेणी एक्स (X)

राज्य	**श्रेणी**
गुजरात	उत्तम निष्पादक
कर्नाटक	शीर्ष निष्पादक
केरल	
बिहार	नेतृत्वकर्ता
महाराष्ट्र	
ओडिसा	
राजस्थान	
हरियाणा	महत्वाकांक्षी नेतृत्वकर्ता
झारखण्ड	
पंजाब	
तेलंगाना	
उत्तराखंड	
आंध्र प्रदेश	उभरते स्टार्टअफ पारिस्थितिकी
असम	
छत्तीसगढ	
दिल्ली	
हिमाचल प्रदेश	
मध्य प्रदेश	
तमिलनाडु	
उत्तर प्रदेश	

श्रेणी वाई

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**श्रेणी**
अंडमान और निकोबार द्विप समूह	उत्तम निष्पादक
चंडीगढ़	नेतृत्वकर्ता
नागालैंड	महत्वाकांक्षी नेतृत्वकर्ता

मिजोरम	उभरते स्टार्टअफ पारिस्थितिकी
सिक्किम	

- प्रत्येक श्रेणी में परिणाम वर्णानुक्रम में है।
- श्रेणी X में श्रेणी Y को छोड़कर सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं
- श्रेणी Y में सभी पूर्व उत्तर राज्य शामिल है, इसमें असम और सभी संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है लेकिन दिल्ली शामिल है।

4. स्टार्टअप इण्डिया यात्रा

डीपीआईआईटी ने बूटकैम्पों, सोशल मेडिया, प्रिन्ट एवं डिडिटल प्लेटफॉमों द्वारा व्यापक संपर्क के माध्यम से स्टार्टअप परितंत्र से संबंध स्थापित करने का भी प्रयास किया है। स्टार्टअफ इण्डिया यात्रा एक पहल है जो उद्यम से संबद्ध प्रतिभावान व्यक्तियों की तलाश करने और स्टार्टअप परितंत्र विकसित करने में सहायता करने के लिए भारत के टीयर 2 एवं टीयर 3 नगरों में जाता है। एक दिनभर का बूटकैम्प आयोजित किया गया जिनमें जागरूकता कार्यशाला, अवधारणा प्रमाणन तथा गतिविधि सत्र शामिल थे। स्टार्टअप यात्रा 23 राज्यों के 207 जिलों में आयोजित की गई है जिसका 78346 आकांक्षी उद्यमियों को लाभ प्राप्त हुआ है। इस पहल के परिणामस्वरूप स्टार्टअप्स को कुल 1424 उद्भवन प्रस्ताव दिए गए है।

5. बड़ी चुनौतियां

5.1 डीपीआईआईटी ने संबंधित सरकारी प्रक्रियाओं का पुनर्निर्माण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), ब्लॉकचेन और अन्य अद्यतन प्रौद्योगिकियों को क्रियान्वित करने के लिए व्यक्तियों, स्टार्टअप्स या अन्य उद्यमों से अभिनव अवधारणाएं प्रारंभ की है। स्टार्टअप इण्डिया वेबसाइट के माध्यम से 789 स्टार्टअप्स आवेदन प्राप्त हुए थे जिनकी छानबीन की गई और समस्या विवरण के लिए विजेताओं की घोषणा कर दी गई है।

5.2 स्वच्छ भारत ग्रैंड चैलंज के अंतर्गत स्टार्टअप इण्डिया कचरा प्रबंधन, जल प्रबंधन, वायु गुणवत्ता प्रबंधन और स्वच्छता के क्षेत्र में अभिनव प्रयोगों को तीव्र करने वाले स्टार्टअप्स की पहचान करने के लिए जल एवं स्वच्छता मंत्रालय के साथ काम किया। इस पहल से पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के लिए संबंधित समाधानों की पहचान करने में इस मंत्रालय को मदद मिली है।

53. डीपीआईआईटी ने कृषि मंत्रालय के सहयोग से 12 समस्या ब्यौरों पर समाधान आमंत्रित करते हुए एक एग्रीकल्चर ग्रैंड चैलेंज आरंभ किया है। इस चैलेंज के विजेताओं को सदस्यता, 3 माह की अवधि के लिए निःशुल्क उद्भवन, पायलट कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर और अनुदान के रूप में निधियन सहायता प्राप्त हुईं हैं।

5.4 स्टार्टअप इण्डिया ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) को सहायता प्रदान करने के लिए अद्यतन समाधान का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज की शुरूआत की थी। इस चैलेंज की शुरूआत माननीय भारत के प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 1 अक्टूबर, 2019 को की गई थी और 7 क्षेत्रों में स्टार्टअप से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदन स्टार्टअप इण्डिया मंच पर आमंत्रित किए गए थे और 300 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय और जन स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक अंतरिम जूरी (निर्णायक समिति) द्वारा आवेदनों की आरंभिक जांच एवं मूल्याकन करने के बाद सेमिफाइनल के लिए 49 स्टार्टअप्स की सूची तैयार की गई थी। इन स्टार्टअप्स में से 16 एवं 17 सितम्बर को फाइनल तथा 25 सितम्बर, 2020 को पुरस्कार के लिए 22 स्टार्टअप्स की फिर से सूची तैयार की गई। 7 विजेताओं की घोषणा की गई।

5.5 स्टार्टअप इण्डिया ने तीन समास्या ब्यौरों में से डिजाइन समाधान तैयार करने के लिए प्रवर्तकों तथा स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगल चूज प्लास्टिक ग्रैंड चैलेंज की शुरूआत की है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से प्रत्येक समस्या ब्यौरे के प्रथम विजेताओं (3 स्टार्टअप्स) को 3 लाख रुपए के नगद पुरस्कार प्राप्त हुए और प्रत्येक समस्या ब्यौरे के द्वितीय विजेताओं (3 स्टार्टअप्स) को 2 लाख रुपए के नगद पुरस्कार प्राप्त हुए।

5.6 पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र के सामने आ रही समस्याओं की अभिनव एवं व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक समाधान की तलाश करने के लिए "एनिमल हस्बैंड्री स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज" आरंभ की है। इस प्रतियोगिता को 11 सितम्बर, 2019 को मथुरा में एक राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया। प्रतियोगिता स्टार्टअप इण्डिया पोर्टल www.startupindia.gov.in पर स्टार्टअप के लिए आवेदन करने हेतु 11 सितम्बर, 2019 से 30 सितम्बर, 2019 तक खुली हुई थी। छः समस्या ब्यौरों के लिए कुल 157 आवेदन प्राप्त हुए थे जिन्हें निम्नानुसार चिह्नित किया किया गयाः

- मूल्यवर्धित उत्पाद
- सिंगल यूज प्लास्टिक विकल्प
- दुग्ध मिलावट को दूर करना
- ई-वाणिज्य समाधान
- उत्पाद का पता लगाने की क्षमता
- नस्ल सुधार एवं पशु पोषाहार

पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएएटडी) ने निम्नलिखित के साथ उपर्युक्त समस्या ब्यौरों के समाधान के साथ अभिनव स्टार्टअप्स का प्रावधान किया हैः

- नगद अनुदानः नगद अनुदान राशि के साथ पुरस्कृत किए जाने वाले प्रत्येक समस्या ब्यौरे के अंतर्गत दो विजेता
  - 10 लाख रुपए (विजेता)
  - 7 लाख रुपए (उप-विजेता)
- 10 स्टार्टअप्स का उद्भवन
- सदस्यताः सदस्यता तथा दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए आयोजित प्रत्येक समस्या ब्यौरे के लिए आभासी मुख्य कक्षा।

5.7 कपड़ा मंत्रालय ने स्टार्टअप इण्डिया के साथ जनवरी, 2020 में स्टार्टअप्स के लिए बड़ी प्रतियोगिता आरंभ किया था। इसका लक्ष्य एकल उपयोग प्लास्टिक बैग विकल्प और डिजाइन समाधान तैयार करने के लिए निवेशकों एवं स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना था। इन समाधानों का उत्पाद के रूप में समान या बड़ी कार्यात्मकता होनी चाहिए जिसके स्थान पर इनको डिजाइन तैयार किए गए हैं। विभिन्न समस्या ब्यौरों के अंतर्गत, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य अभिनव उद्यमी स्तर के स्टार्टअप की पहचान करना और उनकी सूची बनाना और उन्हें नकद पुस्कार प्रदान करना है।

इस प्रतियोगिता को दो समस्या ब्यौरा में विभक्त किया गया हैः

- एकल उपयोग प्लास्टिक विकल्प
- बहुपयोग प्लास्टिक विकल्प

61 आवेदन प्राप्त हुए और 3 चक्रीय मूल्यांकन किया गया। 27 अगस्त, 2020 को 3 स्टार्टअप्स को विजेता घोषित किया गया।

5.8 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने भारत के वनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आ रही कुछ मुख्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्टार्टअप्स और अन्वेषकों के लिए एक विशिष्ट अवसर आरंभ किया है। एमएनआरई ने उन मुख्य समस्या ब्यौरों की पहचान की जो जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के अभिनव उपयोग से लेकर मुश्किल तराई वाले क्षेत्रों के लिए ऊर्जा समाधान तक है। एमएनआरई द्वारा सर्वश्रेष्ठ तीन विजेताओं को नकद पुरस्कार दिया जाना है।

5.9 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की गति तेंज करनाः राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने स्टार्टअप इण्डिया को "ड्रोनों के समूह सहित शरारती स्वतंत्र ड्रोन के विरूद्ध प्रत्युपाय" करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के आतंकवाद नियंत्रण इकाई को मदद पहुंचाने के लिए समाधान

निकालने की मांग की है। "आतंकवाद के खतरे के समाधान में मदद पहुंचाने के लिए" अंतरिक्ष, रक्षा, रोबोटिक्स और सुरक्षा समाधान क्षेत्रों के स्टार्टअप्स से 3 अक्टूबर, 2020 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे जबकि विजेताओं की घोषणा 14 अक्टूबर, 2020 को किया जायेगा। प्रत्येक तीन विजेता स्टार्टअप्स को 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए का नकद प्रोत्साहन दिया जाएया। स्टार्टअप्स की सहायता से आतंकवाद के खतरे को कम करने में मदद पहुंचाकर भारत को रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद पहुंचनाने के लिए एमएसएमई आधार के साथ देश के स्टार्टअप्स का महत्व देना सरकार की पूर्व प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सरकार से संसाधनों को पहुंचाने के अलावा सॉफ्टबैंक, हवाट्सऐप, वेस्टन डिजिटल, अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रेरकों आदि के सहयोग से कारपोरेट ग्रैंड प्रतियोगिताएं आयोजित करके बाजार संबंधी अवसर एवं सदस्याता दी जा रही हैं।

7. अंतर्राष्ट्रीय द्विक्षीय सहयोग

स्टार्टअप इण्डिया कार्यक्रम के तहत एक मुख्य उद्देश्य विभिन्न व्यवसाय मॉडलों के माध्यम से भारतीय स्टार्टअप पारितंत्र को वैश्विक स्टार्टअप पारितंत्र से जोड़ने में मदद करना है। स्टार्टअप इण्डिया ने सहभागी राष्ट्रों के स्टार्टअप्स को सॉफ्ट लैंडिंग प्लेटफॉर्म मुहैया कराने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 10 देशों के साथ संपर्क आरंभ किया है।

स्टार्टअप इण्डिया द्वारा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी कार्यान्वित किए गए हैं और उनके लाभ निम्नानुसार उल्लिखित हैं:

6.1 भारत इजरायल नवोन्मेष प्रतियोगिता

उद्देश्यः भारत और इजरायल के स्टार्टअप पारितंत्रों के बीच प्रौद्योगिकी एवं श्रेष्ठ कार्यों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देना।

कृषि, जल तथा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान निकालने के लिए इजरायली एवं भारतीय स्टार्टअप्स को आमंत्रित करते हुए भारत और इजरायल के माननीय प्रधानमंत्रियों द्वारा जुलाई, 2017 में इस अभिनव प्रतिस्पर्धा की शुरूआत की गई।

परिणामः इस प्रतिस्पर्धा को ऑनलाइन आयोजित किया गया और भारतीय अन्वेषकों तथा स्टार्टअप्स से 665 आवेदन (स्वास्थ्य सेवाः 311, कृषि तकनीकः 217, जल तकनीकः 137) प्राप्त हुए। इस प्रतिस्पर्धा से 18 स्टार्टअप्स का चयन किया गया और उन्हें निम्नानुसार पुरस्कृत किया गयाः

- प्रत्येक 6 भारतीय विजेताओं को 5 लाख रुपए और टी-हब, हैदराबाद (स्वास्थ्य सेवा) और आई-क्रिएट, गुजरात (कृषि तकनीक, जल तकनीक) में 6 माह की निःशुल्क सदस्यता प्रदान की गई।
- 12 भारतीय विजेताओं में से प्रत्येक को 2 लाख रुपए का अनुदान दिया गया।

6.2 भारत पुर्तगाल स्टार्टअप हब (आईपीएसएच)

उद्देश्यः भारत एवं पुर्तगाल के स्टार्टअप पारितंत्र के बीच संबंध को सुदृढ़ करना एवं प्रोत्साहित करना।

जून, 2017 में प्रधानमंत्री अन्टोनियों कोस्टा और उनके भारतीय प्रतिपक्षी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भारत पुर्तगाल स्टार्टअप हब प्रारंभ किया गया। 2017 के प्रारंभ में पुर्तगाल सरकार ने भारत-पुर्तगाल शिखर सम्मेलन के दौरान "स्टार्टअप विजा" कार्यक्रम की घोषणा की। "स्टार्टअप विजा" कार्यक्रम भारतीय उद्यमियों के लिए एक विजा सुविधा कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य वे उद्यमी हैं जो पुर्तगाल में अपना स्टार्टअप आरंभ करना चाहते हैं।

6.3 भारत स्वीडन स्टार्टअप संबंध

उद्देश्यः भारत और स्वीडन के स्टार्टअप पारितंत्र के स्टैकहोल्डरों के बीच व्यवसाय को गहन बनाना।

भारत स्वीडन स्टार्टअप संबंध 12-13 अक्टूबर, 2017 से स्टॉकहोम में प्रारंभ किया गया था और यह दोनों देशों के स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय के निरंतर विकास के लिए दिशा-निर्देश मुहैया कराता है।

भारत-स्वीडन स्वास्थ्य सेवा अभिनवीनता प्रतिस्पर्धा की शुरूआत 12 अगस्त, 2020 को स्वास्थ्य सेवा संबंधी समस्याओं के क्षेत्र में भारत और स्वीडन में स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप्स से समाधान आंत्रित करने के लिए की गई थी। जिसमें कम-से-कम निम्नलिखित शामिल थे:

- सहायक तकनीक
- टेलीमेडिसिन समाधान
- विशिष्ट निदान, विशेषकर कैंसर रोगियों के लिए।

इस प्रतिस्पर्धा के सहभागियों में स्टार्टअप इण्डिया, इन्वेस्ट इण्डिया, एम्स जोधपुर, एम्स दिल्ली, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, अस्ट्राजेनेका, नास्कॉम, अटल इनोवेशन मिशन तथा एजीएनआईआई शामिल थे। इस प्रतिस्पर्धा में 10 स्टार्टअप्स का चयन किया जाएगा जिन्हें एम्स जोधपुर में तैयार किया जाएगा और उन्हें सभी भागीदारों की निःशुल्क सदस्यता एवं बाजार सुगमता के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इस प्रतिस्पर्धा में 460 प्रतिस्टियां प्राप्त हुईं और इस समय उनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

6.4 भारत सिंगापुर उद्यमिता सहयोग

उद्देश्यः निम्नलिखित पर जोर देते हुए एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए भारत और सिंगापुर के स्टार्टअप्स, निदेशकों और आकांक्षी उद्यमियों को समर्थ बनानाः

- ज्ञान का आदान-प्रदान
- नेटर्वकिंग के अवसर
- क्षमता निर्माण

भारत के तत्कालीन माननीय विदेश मंत्री स्वर्गीय श्रमती सुष्मा स्वराज द्वारा एशियान-इण्डिया प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में 7 जनवरी, 2018 को इण्डिया-सिंगापुर इन्टरप्रिन्योरशीप ब्रिज (इन्सप्रिन्योर) आरंभ किया गया था।

इस कार्य में पहला कदम एशियान इण्डिया ग्रैंड चैलेंज था जिसका उद्देश्य व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक एक ऐसे समाधान के साथ एशियान स्टार्टअप्स को सहायता पहुंचाना था जो भारत के 5 राज्यों में एवं बाजार संपर्क कार्यक्रम के माध्यम से भारत के प्राथमिक क्षेत्रों का समाधान कर सके। इस प्रतिस्पर्धा के विषय निम्नानुसार हैं:

- स्मार्ट नगरों के लिए आईओटी
- वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय समावेशन
- नवीकरणीय ऊर्जा
- कृषि एवं ग्रामीण विकास
- डिजिटल स्वास्थ्य एवं स्वच्छ भारत

6.5 इण्डो-डच स्टार्टअप लिंक

नीदरलैण्ड्स के माननीय विदेश व्यापार एवं विकास सहयोग मंत्री सुश्री सिग्रिड काग ने बैंगलोर के मेयर संपत राज के साथ मई, 2018 को इण्डो-डच स्टार्टअप लिंक पोर्टल आरंभ किया।

स्टार्टअप इण्डिया हब और नीदरलैड्स इंटरप्राइज एजेंसी ने अपने संबंधित देशों के लिए भागीदारी की। इस पहल से वित्तपोषण, बाजार विस्तार, व्यावहारिकता जांच, व्यवसाय संरचना परामर्श, विपणन कौशल का संवर्धन और प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण जैसे पहलुओं पर विशेष जोर देते हुए स्टार्टअप्स के जीवन काल के माध्यम से उन्हें मदद मिली।

इण्डो-डच स्टार्टअप लिंक भारत और नीदरलैंड्स से स्टार्टअप्स के लिए एक वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। इस पहल से दोनों देशों के स्टार्टअप्स, निवेशकों, इन्क्यूबेटरों और आकंक्षी उद्यमियों को एक दूसरे से जुड़ने, ज्ञान का आदान-प्रदान सहज करने और स्टार्टअप्स के लिए अग्रिम अवसर मुहैया कराने में सहायता मिलेगी। नीदरलैण्ड के माननीय विदेश व्यापार एवं विकास सहयोग मंत्री सुश्री सिग्रिड काग ने बैंगलोर के मेयर संपत राज के साथ मई, 2018 को इण्डो-डच स्टार्टअप लिंक पोर्टल की शुरूआत की।

इण्डिया नीदरलैण्ड्स तकनीकी शिखर सम्मेलन जीआईटीआर # नीदरलैंड्सइण्डिया स्टार्टअप संबंधः भारत-नीदरलेण्ड तकनीकी शिखर सम्मेलन 2019, 15-16 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अनुप्रतिकात्मक वार्षिक सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के 25वें संसकरण का आयोजन भारतीय औद्योगिक संघ (सीआई) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस शिखर सम्मेलन का जोर जल, कृषि/खाद्य एवं स्वास्थ्य से संबंध नवप्रवर्तन पर था। "नवोदित उद्यमिता" का यह स्तंभ गेट इन रिंग, सीआईआई और नीदरलैंड्स की भागीदारी में आयोजित करवाई गई रिंग # एनएल इण्डिया स्टार्टअप नेक्सस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय होने के कारण भारत और डच स्टार्टअप्स को अपने अभिनव समाधान तैयार करने का अवसर प्रदान किया।

भारत और डच स्टार्टअप्स जीआईटीआर एनएल इण्डिया स्टार्टअप नेक्सस में एक निर्णायक समिति के समक्ष निर्मित किया गया। उन्हें तीन कोटियों (स्वास्थ्य, जल/मुख्य समर्थकारी प्रौद्योगिकियों और कृषि) में विभाजित किया गया था और निर्णायक समिति में क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल थे। फाइनल में 2020 में जीआईटीआर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के टिकट जीतने वाले विजेताओं की घोषणा की गई।

6.6 जापान इण्डिया स्टार्टअप हब

उद्देश्यः भारत और जापान के स्टार्टअप परितंत्र के बीच प्रौद्योगिकी तथा सर्वोत्तम पद्यतियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 29 अक्टूबर, 2018 को जापान इण्डिया स्टार्टअप हब प्रारंभ किया गया। जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय तथा भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अभिनव प्रतिस्पर्धा की शुरूआत जापान भारत स्टार्टअप हब के तहत की गई।

परिणामः

इस प्रतिस्पर्धा को जारी किया गया और कृत्रिम बौधिकता, मशीन ज्ञान, चहेरा पहचान और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में इण्डिया स्टार्टअप्स से आवेदन आमंत्रित किए गए। 422 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से एक स्टार्टअप को 50,000 अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार दिया गया।

6.7 इण्डिया फिनलैण्ड टेक हब

उद्देश्यः भारत और फिनलैण्ड के स्टार्टअप के बीच प्रौद्योगिकी एवं सर्वोत्तम पद्यतियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

इण्डिया फिनलैण्ड टेक हब का शुभारंभ फिनलैण्ड में भारत के राजदूत द्वारा स्लश, 2018 में दिसम्बर, 2018 में किया गया। इण्डिया-फिनलैण्ड टेक हब का लक्ष्य भारतीय स्टार्टअप्स का फिनलैण्ड में और फिनलैण्ड स्टार्टअप्स का भारत में विस्तार की आकांक्षा करने वाले स्टार्टअप्स और इन दो देशों के बीच प्रवेश की सुविधा तथा नवोन्मेष आदान-प्रदान के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करता है।

2019 में स्टार्टअप्स को स्लश ग्लोबल फेस्टिवल में शामिल होने और अपने नए आविस्कारों को प्रदर्शित करने के लिए पास दिए गए थे। डीपीआईआईटी ने स्लश, 2019 में एक स्टार्टअप इण्डिया विषय पर एक पैविलियन स्थापित किया था। उस पैविलियन का उपयोग भारतीय स्टार्टअप्स को प्रदर्शित करने, बैंठकें आयोजित करने और स्टार्टअप्स के लाभ के लिए निवेशकों एवं कारपोरेट के साथ साथ छोटे सत्र आयोजित करने के लिए किया गया। भारत के 26 स्टार्टअप्स का प्रतिनिधि मंडल इस

प्रतियोगिता में भाग लिया और यहां मौजूद अवसरों को दर्शाने के लिए 21 नवम्बर, 2019 को स्लश में भारत सत्र का आयोजन किया गया। इन स्टार्टअप्स का चयन स्टार्टअप इण्डिया प्लेटफॉर्म पर खुला आवेदन आमंत्रित करके किया गया ।

6.8 इण्डिया कोरिया स्टार्टअप हब

उद्देश्यः भारत तथा कोरिया में शुरूआती इकोसिस्टम के मध्य तकनीक तथा बेहतरीन कार्यप्रणाली के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

भारत तथा कोरिया के माननीय प्रधानमंत्रियों ने सिओल में 21 फरवरी, 2019 को भारत-कोरिया स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया इस हब की संकल्पना, भारत गणराज्य के वाणिज्य मंत्रालय तथा कोरिया गणराज्य के एसएमई मंत्रालय के मध्य हस्ताक्षर किए गए संयुक्त कथन के एक भाग के रूप में दोनों के देशों के स्टार्टअप, निवेशकों, इन्क्यूबेटर्स तथा महत्वाकांक्षी उद्यमियों के मध्य पारस्परिक सहयोग को प्रारंभ करने तथा उन्हें बाजार में प्रवेश और वैश्विक विस्तार के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करने के लिए की गई थी। भारत-कोरिया हब के भाग के रूप में दो चुनौतियां रखी गईं।

परिणामः पहली चुनौती का ऑनलाइन आयोजन किया गया तथा भारतीय नवप्रवर्तकों एवं स्टार्टअप द्वारा 130 आवेदन प्राप्त हुए (क्रेडिट रेटिंग-56 स्टार्टअप; भविष्य सूचक विश्लेषणात्मक – 21 स्टार्टअप; जाली पहचान – 28 स्टार्टअप; साइबर सुरक्षा – 21 स्टार्टअप) तीन स्टार्टअप को विजेताओं के रूप में चुना गया तथा उन्हें पायलेट अवसर के साथ 25000 अमरीकी डॉलर तथा 15000 अमरीकी डॉलर तथा 10000 अमरीकी डॉलर का नकद पुरस्कार दिया गया।

दूसरी चुनौती का ऑनलाइन आयोजन किया गया तथा 190 आवेदन प्राप्त हुए (प्रिवेंटिव केयर – 59 स्टार्टअप; समेकित व्यापार मॉडल-55 स्टार्टअप; प्रारंभिक दायित्व-44 स्टार्टअप; द्वितीयक/तृतीयक दायित्व-24 स्टार्टअप; इनेबलर्स-8 स्टार्टअप) एक स्टार्टअप को विजेता के रूप में चुना गया तथा पुरस्कार के रूप में 10000 अमरीकी डॉलर प्रदान किए गए।

इस पारस्परिक सहयोग के अंतर्गत, एसएमईएस मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप (दक्षिण कोरिया) द्वारा 06 सितम्बर, 2019 को साइबर सिटी गुड़गांव में भारत-कोरिया स्टार्टअप केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह व्यापार केंद्र स्टार्टअप को उत्तम सुविधा तथा इकोसिस्टम उपलब्ध कराने तथा देशों के मध्य सामंजस्य बिठाने के उद्देश्य के साथ-साथ उत्तम श्रेणी की अवसंरचना से परिपूर्ण है।

6.9 भारत-रूस नवप्रवर्तन सेतु

उद्देश्यः भारत तथा रूस में शुरूआती इकोसिस्टम के मध्य तकनीक तथा बेहतरीन कार्यप्रणाली के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

भारत-रूस नवप्रवर्तन सेतु का लक्ष्य दोनों देशों को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए दोनों देशों के स्टार्टअप, निवेशक, इनक्यूबेटर्स तथा महत्वाकांक्षी उद्यमों की शुरूआत करना है। दो चुनौतियां रखी गईं थी।

परिणामः पहली चुनौती का आयोजन ऑनलाइन किया गया तथा ई-कॉमर्स के लिए फिनटेक, एचआर टेक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बी2सी डिजिटल उत्पाद, सॉफ्ट/एसएएएस के क्षेत्र में 256 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से चार स्टार्टअप को मॉस्को में भुगतान पर पाइलेट अवसर के साथ-साथ 02 माह के लिए 216,400 रुपए की निःशुल्क यात्रा की अनुमति दी गई।

दूसरी चुनौती द्वारा शिक्षा क्षेत्र में भारत तथा रूस दोनों स्टार्टअप से टेक-इनेबल्ड नए समाधानों को आमंत्रित किया गया। 218 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से 10 स्टार्टअप को अंतिम स्वरूप के लिए चयनित किया गया। विजेता स्टार्टअप को 25,000 अमरीकी डॉलर का नकद पुरस्कार दिया गया।

6.10 यूके – भारत स्टार्टअप लांचपैड

परिणामः भारत तथा यूके में स्टार्टअप इकोसिस्टम के मध्य तकनीक तथा बेहतरीन कार्यप्रणाली के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

परिणामः यूके – भारत स्टार्टअप लांचपैड का उद्घाटन डीपीआईआईटी तथा डीएफआईडी टैक एक्सचेंज 2019 पर 19 सितम्बर, 2019 को द्वारा किया गया।

8. नवप्रवर्तन को दर्शाने हेतु स्टार्टअप अवसरों का आयोजन एक सहयोग मंच की स्थापना करना।

- भारत ने इस वर्ष उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन पर एक विशेष कार्य समूह (एसडब्ल्यूजी) के गठन का प्रस्ताव रखा है। डीपीआईआईटी भी अक्तूबर, 2020 में एससीओ स्टार्टअप फोरम के गठन तथा उद्घाटन का विचार रखता है। एससीओ में सभी 08 सदस्य राष्ट्रों से राज्यों के प्रमुख नवम्बर, 2020 में बैठक करेंगे तथा स्टार्टअप और नवप्रवर्तन पर एसडब्ल्यूजी की आधिकारिक घोषणा करेंगे।

- विभाग ने विभिन्न स्टार्टअप समारोह का आयोजन किया है जिनमें से कुछ प्रमुख अवसर निम्नलिखित हैं:

I. मुंबई में, अप्रैल, 2018 में वेंचर फंड प्रबंधकों के साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अध्यक्षता में गोलमेज बैठक।

II. दिल्ली में अगस्त, 2018 में सिंगापुर प्रतिनिधिमंडल एंटरप्राइजेज सिंगापुर तथा टीआईई सिंगापुर की अध्यक्षता में गोलमेज बैठक।

III. दिल्ली में सितम्बर, 2018 में जापानी स्टार्टअप के साथ जेईटीआरओ की अध्यक्षता में गोलमेज बैठक;

IV. दिल्ली में अगस्त, 2018 वेंचर फंड प्रबंधकों के साथ डीपीआईआईटी सचिव की अध्यक्षता में गोलमेज बैठक;

V. दिल्ली में सितम्बर, 2018 में स्टार्टअप द्वारा बैंकिंग नियमों पर वित्त सचिव के साथ गोलमेज बैठक;

VI. गोवा में दिसम्बर, 2018 में स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल वेंचर कैपिटल समिट;

VII. दिल्ली में फरवरी, 2019 में एंजिल टैक्स नियमों पर सचिव डीपीआईआईटी की अध्यक्षता में गोलमेज बैठक;

VIII. बैंगलोर में फरवरी, 2019 में स्टार्टअप मंथन @ एयरो इंडिया;

IX. दिल्ली में मार्च, 2019 में महिला उद्यमियों के लिए स्पीड मैनटरिंग सत्र;

X. दिल्ली में अप्रैल, 2019 में निवेशकों के प्रमाणन सचिव डीपीआईआईटी की अध्यक्षता में गोलमेज बैठक;

XI. दिल्ली में अप्रैल, 2019 में स्टार्टअप इकोसिस्टम के स्टेक होल्डर्स द्वारा विनियामक मामलों पर सचिव डीपीआईआईटी की अध्यक्षता में गोलमेज बैठक;

XII. दिल्ली में मई, 2019 में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन कार्यप्रणाली पर केंद्र सरकार के विभागों के साथ गोलमेज बैठक;

XIII. दिल्ली में नवम्बर, 2019 में स्टार्टअप के सामने आने वाली बाधाओं तथा यात्रा पर सचिव डीपीआईआईटी की अध्यक्षता में गोलमेज बैठक;

XIV. गोवा में दिसम्बर, 2019 में स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल वेंचर कैपिटल समिट का द्वितीय संस्करण;

XV. गोवा में दिसम्बर, 2019 में निवेशकों के विनियामक संबंधी चिंताओं पर चर्चा के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में गोलमेज बैठक;

XVI. दिल्ली में जनवरी, 2020 में स्टार्टअप संबंधी विनियामक मामलों पर सचिव डीपीआईआईटी की अध्यक्षता में गोलमेज बैठक;

XVII. दिल्ली में जनवरी, 2020 में स्टार्टअप में निवेश के लिए पेंशन बीमा तथा पीएसयू सहित उपलब्ध अधिशेषी निधियों के संग्रहण पर सचिव डीपीआईआईटी की अध्यक्षता में गोलमेज बैठक;

XVIII. दिल्ली में फरवरी, 2020 में स्टार्टअप में निवेश के लिए पेंशन बीमा तथा पीएसयू सहित उपलब्ध अधिशेषी निधियों के संग्रहण पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा गोलमेज बैठक की अध्यक्षता;

XIX. दिल्ली में फरवरी, 2020 में स्टार्टअप में निवेश के लिए पेंशन निधि के साथ उपलब्ध अधिशेषी निधियों के संग्रहण पर सचिव श्रम और रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में गोलमेज बैठक;

XX. दिल्ली में फरवरी, 2020 में स्टार्टअप इकोसिस्टम के अन्य स्टेकहोल्डर्स तथा निवेशकों के विनियामक विषयों पर की गई कार्रवाई पर सचिव डीपीआईआईटी की अध्यक्षता में गोलमेज बैठक;

XXI. दिल्ली में मार्च, 2020 में स्टार्टअप स्टेकहोल्डर्स समुदाय के टैक्सेशन मामलों पर संयुक्त सचिव डीपीआईआईटी की अध्यक्षता में गोलमेज बैठक;

XXII. अप्रैल, 2020 में रेल तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा कोविड-19 के प्रभाव को जानने तथा देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम पर देश में लॉकडाउन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अध्यक्षता;

XXIII. मई, 2020 स्टार्टअप स्टेकहोल्डर्स समुदाय के टैक्सेशन मामलों पर संयुक्त सचिव डीपीआईआईटी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग;

XXIV. जून, 2020 में वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के माध्यम से स्टार्टअप में निवेश के लिए बीमा कंपनियों के साथ उपलब्ध अधिशेषी निधियों के संग्रहण पर संयुक्त सचिव डीपीआईआईटी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग;

XXV. अगस्त, 2020 में वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के माध्यम से स्टार्टअप में निवेश के लिए बीमा कंपनियों के साथ उपलब्ध अधिशेषी निधियों के संग्रहण की संभावना पर चर्चा के लिए संयुक्त सचिव डीपीआईआईटी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग;

9. विनियामक सुधार

यह स्वीकार करते हुए कि हानिकारक व्यापार मॉडल तथा नई तकनीकों को विनियामक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, डीपीआईआईटी ने सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया है तथा विनियामक बदलाव करने के लिए प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों के साथ कार्य किया है। ऐसे 39 विनियामक बदलावों को व्यापार करने की सहजता का विस्तार करने, पूंजी बढ़ाने तथा अनुपालन के बोझ को कम करने का दायित्व सौंपा गया है विनियामक सुधारों की सूची पताका-क पर संलग्न है।

10. राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने शानदार स्टार्टअप तथा इकोसिस्टम इनेबलर्स, जो सामाजिक प्रभाव को दर्शाने वाले, रोजगार उत्पादन अथवा संपत्ति सृजन की उत्तम दक्षता के साथ नए उत्पाद अथवा समाधान तथा मापनीय उद्यमों का निर्माण कर रहे हैं, को पुरस्कृत करने तथा पहचानने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड प्राप्त किया। सफलता का मापदंड न केवल निवेशकों के लिए वित्तीय प्राप्तियां था, बल्कि सामाजिक परिवेश में योगदान भी था। अवार्डों का प्रथम संस्करण द्वारा 12 क्षेत्रों के आवेदनों को आमंत्रित किया गया, जिन्हें आगे चलकर कुल 35 श्रेणियों की उपश्रेणियों में बांटा गया। इसके अलावा, स्टार्टअप को उनमें से चयनित किया गया जो ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं, महिलाओं द्वारा जिनकी अध्यक्षता की जा रही है अथवा जो शैक्षणिक परिसरों में आते हैं।
23 राज्यों तथा 04 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए, स्टार्टअप से कुल 1641 आवेदन प्राप्त हुए थे। 31 आवेदन इनक्यूबेटर्स से तथा 10 आवेदन एक्सेलेरेटरों से प्राप्त हुए। विस्तृत मूल्यांकन के 4 चरणों के बाद निर्णायक मंडल के सामने प्रदर्शन हेतु 199 स्टार्टअप का चयन किया गया। इनमें से 192 ने 15 विशेषज्ञ निर्णायक मंडल के पैनल के सामने प्रस्तुति दी, जिनमें उद्योग, निवेशक तथा सरकार से डोमेन विशेषज्ञ शामिल है। इस निर्णायक मंडल के पैनल द्वारा एक इन्यूबेटर तथा 1 एक्सेलेरेटर सहित विजेताओं के रूप में 36 स्टार्टअप का चयन किया गया।

स्वीकृत प्रविष्टियों को ऐसे स्वीकरण से न केवल अधिक व्यापार, वित्तपोषण, हिस्सेदारियों तथा योग्यता को आकर्षित करने योग्य होने का लाभ मिलेगा बल्कि, यह अन्य संस्थाओं के लिए आदर्श के रूप में प्रस्तुत होगा तथा उनके सामाजिक – आर्थिक प्रभागों के बारे में उद्देश्यपूर्ण तथा उत्तरदायी होने के लिए प्रभावित करेगा। 'राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड 2020' का परिणाम माननीय रेल तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा 06 अक्तूबर, 2020 को दिया गया।

लघु व्यापार अथवा स्टार्टअप की शुरूआत के लिए विनियामक सुधार (जनवरी, 2016 से)

भारतीय रिजर्व बैंक

1. स्टार्टअप उद्यमों में 3 मिलियन अमरीकी डॉलर तक विदेशी वाणिज्यिक उधार रूपरेखा के अंतर्गत ऋण की अनुमति प्रदान की। (अक्तूबर, 2016)

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा पंजीकृत फॉरन वेंचर कैपिटल इनवेस्टर (एफवीसीआई) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत, क्षेत्र के निर्पेक्ष में जिसमें यह व्यस्त हो ऐसे स्टार्टअप के साथ अधिसूचना संख्या एफईएमए 20/2000 के की सूची 6 में उल्लिखित किसी गति विधि में लिप्त भारतीय कंपनी की पूंजी का 100 प्रतिशत तक अंशदान कर सकता है। (अगस्त, 2017)

3. विदेशी सब्सिडरी रखने वाला भारतीय स्टार्टअप भारत के बाद इसे ऋण देने के उद्देश्य से एक बैंक के साथ इसकी विदेशी सब्सिडरी के निर्यातों/बिक्रियों से प्राप्त कथित संस्था तथा/अथवा प्राप्यों द्वारा बनाए गए निर्यातों/बिक्रियों में से विदेशी विनिमय कमाई के ऋण हेतु विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है। (जून, 2016)

4. सॉफ्टवेयर निर्यातकों द्वारा फाइल किए गए सॉफटेक्स को ऑनलाइन किया गया। (फरवरी, 2019)

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)

5. एंजिल फंड द्वारा किए गए निर्देशों के लिए लॉकइन अवधि को सेबी नियम, 2016 (वैकल्पिक निवेश निधियां) (संशोधन) द्वारा किए गए संशोधन के बाद 04.01.2017 के तत्काल प्रभाव से 3 वर्ष से 1 वर्ष कर दिया गया।

6. एंजिल फंड्स को ओवरसीज वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग्स में सेबी नियम, 2016 (वैकल्पिक निवेश निधियां) (संशोधन) द्वारा प्रदान किए गए अन्य एआईएफएस के साथ उनके इन्वेस्टवल कोष का 25 प्रतिशत तक 04.01.2017 के तत्काल प्रभाव से निवेश करने की अनुमति है।

7. एक योजना में कुछ एंजिल निवेशकों के लिए उच्चतम सीमा सेबी नियम, 2016 (वैकल्पिक निवेश निधियां) (संशोधन) द्वारा किए गए संशोधन के बाद 04.01.2017 के तत्काल प्रभाव से 49 से 200 तक बढ़ा दी गई है।

8. एंजिल फंड द्वारा किसी भी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में न्यूनतम निवेश राशि की आवश्यकताओं को सेबी नियम, 2016 (वैकल्पिक निवेश निधियां) (संशोधन) द्वारा किए गए संशोधन के बाद 04.01.2017 के तत्काल प्रभाव से 50 लाख से 25 लाख तक कम कर दिया गया है।

9. सेबी द्वारा जारी "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वैकल्पिक निवेश निधियों के लिए दिशानिर्देशों का संचालन"। (नवम्बर, 2018)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

10. निजी कंपनी (यदि ऐसी निजी कंपनी एक स्टार्टअप है) के संबंध में वित्तीय विवरण में कैश फ्लो विवरण शामिल नहीं है। (जून, 2017)

11. एक निजी कंपनी को भी, जो अपने निगमन की तारीख से 05 वर्ष की अवधि के लिए स्टार्टअप के रूप में संबंधित है, सदस्यों द्वारा राशि पर कोई प्रतिबंध के बिना जमा स्वीकार करने की अनुमति प्राप्त है। (सितम्बर, 2017)

12. कंपनी अधिनियम, 2013 के उद्देश्य हेतु स्टार्टअप की परिभाषा दी गईः परिभाषा के अनुसार एक स्टार्टअप कंपनी का अर्थ है एक निजी कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित है तथा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में "स्टार्टअप" के रूप में जानी जाती है। (जून, 2017)

13. शेयर धारकों से जमा बढ़ाने के लिए प्रक्रियात्मक अनुपालन (अर्थात् एक प्रस्ताव परिपत्र अथवा एक जमा पुनर्भुगतान रिजर्व के सृजन का कोई ऐसा मामला) से छूट। (जून, 2017)

14. एक निजी कंपनी के संबंध में (यदि ऐसी निजी कंपनी एक स्टार्टअप है), कंपनी सचिव द्वारा अथवा जहां कोई कंपनी सचिव नहीं हो, कंपनी के निदेशक द्वारा वार्षिक लाभ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। (जून, 2017)

15. एक निजी कंपनी (यदि ऐसी निजी कंपनी एक स्टार्टअप है) कैलेंडर वर्ष के प्रत्येक छमाही में निदेशक मंडल की कम से कम एक बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित है तथा दो बैठकों के बीच 90 दिनों से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। (जून, 2017)

16. कंपनी निगमन के लिए नाम पंजीकरणः नियम 8, कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के स्थान पर कंपनी (निगमन) पांचवें संशोधन नियम, 2019 है, जो मौजूदा कंपनी नाम के साथ समानता पर कंपनी के अवांछित नामों की नई श्रेणियों तथा शब्दों की सूची जिसका केवल अनुमोदन करने के बाद उपयोग किया जा सकता है के लिए नए नियम प्रदान करता है। (मई, 2019)

17. कंपनी (शेयरपूंजीऔरडिबेंचर) नियमावली, 2014 मेंसंशोधन: डीपीआईआईटीकेदिनांक 19 फरवरी, 2019 कीअधिसूचनामेंसंदर्भितप्रावधानोंकेसाथकंपनी (शेयरपूंजीऔरडिबेंचर) नियमावलीकेप्रावधानोंकोएकरूपकरनेतथाउससमावेशकीअवधिको 5 वर्षसे 10 वर्षतकबढ़ातेहुएकारपोरेटकार्यमंत्रालयनेदिनांक 16 अगस्त, 2019 कोएकअधिसूचनाजारीकीथीजिसमेंस्टार्टअपकेसंवर्धकोंतथानिदेशकों (10% सेअधिकधारितवाले) कोईएसओपीएसकेलिएमंजूरीदीजासकतीहै।

इसअधिसूचनानेकंपनीमेंअंतरीयमताधिकारसहितशेयरोंकीसीमाकंपनीकीकुलनिर्गमपश्चातप्रदत्तइक्विटीपूंजीको 26% से 74% कीकुलमताधिकारक्षमतातकबढ़ायाहै।इसकेअतिरिक्त,
डीवीआरशेयरोंकोनिर्गमकरनेकेलिएपिछलेतीनवर्षोंकीवितरणयोग्यलाभोंकेकंपनीकीलगातारपिछलाकार्यनिष्पादनवालेशर्तकोहटा दियागयाहै। (अगस्त 2019)

18. कारपोरेटसामाजिकउत्तदायित्वनिधि: कंपनीअधिनियम, 2013 कीधारा 135 केसंदर्भमेंकेंद्रीयसरकारयाराज्यसरकार, केंद्रीयसरकारयाराज्यसरकारकीकोईअन्यएजेंसीयासार्वजनिकक्षेत्रकेउपक्रमोंद्वाराउष्मानियंत्रकनिधियनमेंअंशदान, औरसंवहनीयविकासकेलक्ष्य (एसडीजी) कोबढ़ावादेनेकेउद्देश्यसेविज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकीतथादवाईमेंअनुसंधानकरनेकेलिएनियुक्तलोकनिधियनविश्वविद्यालयों, भारतीयप्रौद्योगिकीसंस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीयप्रयोगशालाऔरस्वायत्तनिकाय (भारतीयकृषिअनुसंधानपरिषद (आईसीएआर), भारतीयचिकित्साअनुसंधानपरिषद (आईसीएमआर), वैज्ञानिकऔरऔद्योगिकअनुसंधानपरिषद (सीएसआईआर), परमाणुऊर्जाविभाग (डीएई), रक्षाअनुसंधानऔरविकाससंगठन (डीआरडीओ), विज्ञानऔरप्रौद्योगिकीविभाग (डीएसटी), इलेक्ट्रॉनिकऔरसूचनाप्रौद्योगिकीमंत्रालयकेअंतर्गतस्थापित) मेंअंशदानहेतुअनुसूची VII कोसंशोधितकियागयाहै। (अक्तूबर 2019)।

19. भारतसरकारकेव्यापारिकसुगमता (ईओडीबी) पहलकेरूपमें, कारपोरेटकार्यमंत्रालयनेमौजूदाएसपीआईसीप्रारूपकेस्थानपरएकनईएकीकृतवेबप्रारूपनामक'एसपीआईसीई+' कीशुरुआतकीहै।'एसपीआईसीई+' केंद्रीयसरकारके3 मंत्रालयोंऔरविभागों (कारपोरेटकार्यमंत्रालय, श्रममंत्रालयऔरवित्तमंत्रालयमेंराजस्वविभाग) औरएकराज्यसरकार (महाराष्ट्र) केमाध्यमसे 10 सेवाएंदेगी।जिससेभारतमेंव्यापारशुरूकरनेकेलिएकईप्रक्रिया, समयऔरलागतमेंबचतहोगीऔरजोदिनांक 23 फरवरी, 2030 तककेसभीनईकंपनीकारपोरेशनकेलिएलागूहोगी।'एसपीआईसीई+' केदोभागहैं: भागक- नईकंपनियोंकेलिएनामआरक्षणऔरभागख- बहुतसीसेवाओंकोएकसाथप्रदानकरनाअर्थात (i) समावेश (ii) डीआईएनआबंटन (iii) पैनकोअनिवार्यरूपसेजारीकरना (iv) टैनकोअनिवार्यरूपसेजारीकरना (v) ईपीएफओपंजीकरणकोअनिवार्यरूपसेजारीकरना (vi) ईएसआईसीपंजीकरणकोअनिवार्यरूपसेजारीकरना (vii) व्यावसायिककरपंजीकरण (महाराष्ट्र) कोअनिवार्यरूपसेजारीकरना (viii) कंपनीकेलिएबैंकखातोंकोअनिवार्यरूपसेखोलनाऔर (ix) जीएसटीआईएनकाआबंटन (यदिलागूहोतो) (फरवरी 2020)।

20. कंपनी (शेयर पूंजी और डिवेंचर) नियमावली,2014 में संशोधन: कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने स्वेट इक्विटी शेयर को जारी करने की अवधि को 5 वर्ष से 10 वर्ष तक बढ़ाते हुए दिनांक 05 जून, 2020 को एक अधिसूचना जारी की थी जिससे कंपनी (शेयर पूंजी और डिवेंचर) नियमावली के प्रवधानों को दिनांक 19 फरवरी, 2019 की डीपीआईआईटी की अधिसूचना में संदर्भित प्रवधानों को एक समान किया गया था(सितम्बर, 2020)।

21. कंपनी (निक्षेप की स्वीकृति) नियमावली, 2014 में संशोधन कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने विनमय साध्यता नोटों को जारी करने की अवधि को 5 वर्ष से 10 वर्ष तक बढ़ाते हुए दिनांक 7 सितम्बर, 2020 को एक अधिसूचना जारी की थी जिससे कंपनी (निक्षेप की स्वीकृति) नियमावली, 2014 के प्रावधानों को दिनांक 19 फरवरी, 2019 की डीपीआईआई की अधिसूचना में संदर्भित प्रावधानों को एक समान किया गया था (सितम्बर, 2020)।

22. कंपनी (निक्षेप की स्वीकृति) नियमावली, 2014 में संशोधनदिनांक 7 सिम्बर, 2020 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने एक अधिसूचनाजारी की थी जिससे निजी कंपनी की सदस्य से स्वीकार की जाने वाली निक्षेपों से संबंधित अधिकतम सीमा स्टार्ट-अप कंपनी के नियम अपनी समावेशी की तिथि से 05 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष तक लागू नहीं होगी (सितम्बर, 2020)।

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

23. घरेलू कंपनी के मामले में जिसमें पिछले वर्ष इसकी कुल कारोबार या सकल प्राप्ति दो सौ पचास करोड़ रुपये के अधीन न होने पर कुल काय का 25 प्रतिशत की दर से आय कर लगाया जाएगा (फरवरी, 2018)।

24. धारा 80 झकग में यथा उल्लिखित पात्र व्यापार की परिभाषा को स्टार्ट-अप की परिभाषा के समान किया गया है (अप्रैल, 2018)।

25. आयकर अधिनियम, 2961 में धारा 54 ईई की शुरूआत: यदि दीर्घावधिक पूंजी लाभ का निवेश केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निधि में किया गया है तो दीर्घावधिक पूंजी लाभ पर कर से छूट । निवश किए जाने वाले अधिकतम राशि 50 लाख रुपये है (मई, 2016)।

26. आयकर अधिनियमकी धारा54 जीबी में संशोधन: यदि विनिर्दिष्ट आस्ति की खरीद के लिए आवासीय मकान या आवासीय भूखंड की बिक्री से हुए पूंजी लाभ का निवल राशि का उपयोग पात्र स्टार्टअप की इक्विटी शेयर की निर्धारित शेयर में निवेश किया जाता है तो कर से छूट (फरवरी, 2016)।

27. दस मूल्यांकन वर्षों के स्थान पर पंद्रहवें मूल्यांकन वर्षों तक न्यूनतम वैकल्पिक कर ऋण को आगे ले जाने की अनुमति (2017)।

28. आयकर अधिनियमकी धारा 80 आईएसी के अंतर्गत छूट: शुरूआत के 7 वर्षों (पहले 5 वर्ष) में से किसी 3 लगतार मूल्यांकन वर्षों के लिए उन पात्र स्टार्टअप को छूट दी जाएगी, जिसमें इस तरह के पात्र स्टार्टअप को शामिल किया गया है (अप्रैल, 2018)।

29. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के स्व-घोषणा के आधार पर निष्पक्ष बाजार मूल्य से अधिक शेयरों की जारी के लिए स्टार्टअप को धारा 56(2) (viiख) के प्रावधानों के अंतर्गत कर से छूट। जारी या प्रस्तावति जारी के पश्चात् स्टार्टअप के शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम की भुगतान की कुल राशि 25 करोड़ रुपेय से अधिक नहीं होनी चाहिए (फरवरी, 2019)।

30. विनिमय साध्यता नोटों की कराधान: वह अवधि जिसके लिए बांड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या निक्षेप प्रमाणपत्र विनिमय साध्यता से पूर्व जारी किए गए थे, विनिमय साध्यता पर प्राप्त ऐसे शेयरों या डिबेंचरों को रखने की अवधि निर्धारित करने के लिए विचार किया जाएगा (मार्च, 2016)।

31. 1 अप्रैल, 2020 से लागू आयकर अधिनियम की धारा 54 जीबी में सशोधन: (अगस्त, 2019)

i. स्टार्टअप में शेयर पूंजी या मताधिकार की 50 प्रतिशत की न्यूनतम स्वामित्व की शर्त में 25 प्रतिशत की छूट।
ii. समयावधि का विस्तार जिसमें धारा 54 जीबी के अंतर्गत आवासीय सम्पत्ति की बिक्री से हुए लाभ को दिनांक 31 मार्च, 20121 तक किया जा सकता है।
iii. कम्प्यूटर या कम्प्यूटर साफ्टवेयर के नई आस्तियों का अंतरण को सीमित करने की शर्त को दिनांक 1.4.2020 से 5 वर्ष से 3 वर्ष तक छूट दी जाएगी।

32. आयकर अधिनियम (अगस्त, 2019) की धारा 79 में सशोधन के पात्र स्टार्टअपों को निम्नलिखित दो शर्तों में से किसी एक शर्त पर अपनी हानियों को आगे ले जा सकेगा:

i. 51 प्रतिशत की शेयर धारिता/मताधिकार को जारी रखते हुए या
ii. मताधिकार वाले मूल शेयरधारकों की 100 प्रतिशत भागीदारी।

33. निवेश निधि अर्थात श्रेणी I और II एआईएफ के लिए अनुमत हानि को आय के समान पारित करना। ये संशोधन दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से लागू होंगे तदनुसार मूल्यांकन वर्ष 2020-21 और इसके परिणाम स्वरूप मूल्यांकन वर्ष (अगस्त, 2019) में छूट के लिए लागू होगी।

34. स्टार्टअप में श्रेणी I एआईएफ की बेंचर पूंजी निधि द्वारा किए गए निवेश को आयकर अधिनियम की धारा 56(2) (viiख) के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट दी गई थी। इस छूट को उक्त धारा में ''विनिर्दिष्ट निधियों'' के शुरूआत के माध्यम से श्रेणी II एआईएफ और श्रेणी I एआईएफ की सभी उप श्रेणियों के लिए बढ़ाई गई है। (अगस्त, 2019)।

35. वित्तीय अधिनियम, 2020 में विनिर्दिष्ट व्यापार के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 80 आईएसी में संशोधन के लिए प्रावधान है। धारा 80 आईएसी के प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ दस वर्षों में से अर्थात आकल के विकल्प पर पिछले सात वर्षों के मानक और पिछले वर्ष की संबंधित मूल्यांकन वर्ष जिसके लिए इस धारा के अधीन कटौती के लिए दावा किया गया है उसमें अपना कुल कारोबार व्यापार सौ करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए में से तीन लगातार मूल्यांकन वर्षों के लिए पात्र स्पार्टअप द्वारा पात्र व्यापार से हुए लाभों और प्रतिलाभों 100 प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती के

लिए प्रावधान है। यह संशोधन दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगा तदनुसार मूल्यांकन वर्ष 2021-2022 तथा इसके परिणाम स्वरूप मूल्यांकन वर्ष में लागू होगा (फरवरी, 2020)।

36. वित्तीय अधिनियम, 2020 में विनिर्दिष्ट व्यापार के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 80आईएसी में संशोधन के लिए प्रावधान है। धारा 80आईएसीके प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ आकलन के विकल्प पर दस वर्षों में से तीन लगातार मूल्यांकन वर्षों के लिए पात्र स्पार्टअप द्वारा पात्र व्यापार से हुए लाभों और प्रतिलाभों 100 प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती के लिए प्रावधान है और अपने व्यापार का कुल करोबार सौ करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात पिछले संबंधित मूल्यांकन वर्षों में पच्चीस करोड़ रुपये के पूर्व मानक जिसके लिए धारा के अंतर्गत दावा किया गया है। यह संशोधन दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगा। तदनुसार यह मूल्यांकन वर्ष 2021-22 और इसके परिणामस्वरूप मूल्यांकन वर्षों के लिए लागू होगा (फरवरी, 2020)।

37. वित्तीय अधिनियम, 2020 में आयकर अधिनियम की धारा 156, 191 और 192 में संशोधन करने के लिए प्रावधान है जिसमें धारा 80आईएसीके संदर्भित पात्र स्टार्टअप की धारा 17(2)(vi) के अधीन अधिक लाभ के रूप में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी प्राप्तकरने के लिए कर्मचारियोयं को सक्षम बनाना चाहता है, कटौती या भुगतान करना चाहता है चाहे जो भी मामलो हो संबंधित मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति से अड़तालीस माह की समाप्ति के पश्चात चौदह दिनों के भीतर के आय पर कर; या मूल्यांकनकर्ता द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर की बिक्री की तिथि से या, मूल्यांकन समाप्ति की तिथि से उस व्यक्ति का कर्मचारी होना जो भी पहले दो, उस वित वर्ष में लागू दर के आधार पर जिसमें उक्त विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी आबंटित या स्थानांतरित किया गया हैा यह संशोधन दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगा पूर्व के मानक के आधार पर उक्त अधिक लाभ में ईएसओपी शामिल है जिसे विकल्प का चयन करते समय कर्मचारी पर कर लगाया गया था।

इलैक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

38. इलैक्ट्रानिक विकास निधि (ईडीएफ) संचालन दिशानिर्देश से खंड को यह बताना कि यदि स्टार्ट-अप के लिए निधियों की निधि से कोई निधि आहरित की जाती है तो वे ईडीएफ से निधि आहरण नहीं कर सकते और यदि ईडीएफ से कोई निधि आहरित की जाती है तो निधियों की निधि से निधि आहरित नहीं कर सकते (नवम्बर, 2018)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

39. स्टार्टअप की परिभाषा में संशोधन: एक संख्या को स्टार्टअप के रूप में इसके समावेशी/पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष तक की अवधि तक विचार किया जाएगा और समावेशी/पूंजीकरण से किसी भी वित्त वर्ष में संख्या का कारोबार सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए (फरवरी, 2019)।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2020-21)की चौदहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश
समिति की बैठक गुरूवार, 29 जुलाई, 2021 को 1430 बजे से 1500 बजे तक समिति कक्ष 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

सदस्य

<u>लोक सभा</u>

2. श्री एस.एस. अहलूवालिया
3. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
4. श्री मनोज किशोरभाई कोटक
5. श्री पिनाकी मिश्रा
6. श्री वल्लभनेनी बालाशोरी
7. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी
8. डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
9. श्री मनीष तिवारी
10. श्री राजेश वर्मा

<u>राज्य सभा</u>

11. श्री ए. नवनीतकृष्णन
12. डॉ. अमर पटनायक
13. श्री महेश पोद्दार
14. श्री सी.एम. रमेश
15. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हा राव

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री वी.के. त्रिपाठी	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री रामकुमार सूर्यनारायणन	-	निदेशक
3.	श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा	-	अपर निदेशक
4.	श्री ख. गिनलाल चुंग	-	अवर सचिव

1. सर्वप्रथम सभापति ने, समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् समिति ने, निम्नवत् प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने हेतु लिया। तत्पश्चात् समिति ने विचार करने और स्वीकार करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों को लियाः-

(i) 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का कार्यान्वयन : समस्याएँ और समाधान' विषय पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय का 32वां प्रतिवेदन।

(ii) 'भारत में बैंकिंग क्षेत्र – बैंकों/वित्तीय संस्थानों में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों सहित मुद्दे, चुनौतियां और भविष्य की राह' विषय पर अड़सठवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा 33वां की गई कार्रवाई प्रतिवेदन।

(iii) 'स्टार्टअप ईकोसिस्टम का वित्तपोषण' विषय संबंधी वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य तथा राजस्व विभाग) और वाणिज्य मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) के बारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा 34वां की गई कार्रवाई प्रतिवेदन।

(iv) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी पच्चीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में 35वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।

(v) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में 36वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।

(vi) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में 37वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।

(vii) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में 38वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।

(viii) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में 39वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।

कुछ चर्चा के बाद समिति ने, उक्त प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार किया और उन्हें अंतिम रूप देने और संसद में प्रस्तुत करने के लिए सभापति को प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया है।

परिशिष्ट
(देखिए प्राक्कथन का पैरा 4)

वित्त मंत्रालय(आर्थिक कार्य तथा राजस्व विभाग)और वाणिज्य मंत्रालय(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) से संबंधित 'स्टार्टअप ईकोसिस्टम का वित्तपोषण' संबंधी बारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

		कुल	कुल का प्रतिशत
(एक)	सिफारिशों की कुल संख्या	14	
(दो)	सिफारिशे/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है (देखिए सिफारिश क्रम सं. 1, 2, 3, 12 और 14)	05	35.71%
(तीन)	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती (देखिए सिफारिश क्रम सं. 4, 5 और 13)	03	21.42%
(चार)	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं (देखिए सिफारिश क्रम सं. 7, 9, 10 और 11)	04	28.57%
(पाँच)	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं (देखिए सिफारिश क्रम सं. 6 और 8)	02	14.30 %